



भारतीय रिज़र्व बैंक
RESERVE BANK OF INDIA

www.rbi.org.in

भा.रि.बैं.विमुवि/2015-16/09
 विमुवि मास्टर निदेश सं.14/2015-16

1 जनवरी 2016

(09 अक्टूबर 2025 को अद्यतन)
 (16 अप्रैल 2025 को अद्यतन)
 (16 जनवरी 2025 को अद्यतन)
 (09 जनवरी 2020 को अद्यतन*)

सेवा में

सभी प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी- I बैंक और प्राधिकृत बैंक

महोदया / महोदय

मास्टर निदेश – जमा राशियां और खाते

भारत में निवासी व्यक्ति द्वारा विदेशी मुद्रा खाते खोलना, धारण करना तथा रखरखाव करना, ¹[अधिसूचना सं. फेमा.10 \(आर\)/2015-आर बी दिनांक 21 जनवरी, 2016](#) द्वारा जारी विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत में निवासी व्यक्ति द्वारा विदेशी मुद्रा खाते) विनियम 2015 के साथ पठित विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम 1999 (एफ ई एम ए) की धारा 9 से विनियमित होते हैं। भारत में निवासी व्यक्ति तथा भारत से बाहर निवासी व्यक्ति के बीच जमा राशियों/ खातों का रखरखाव ²[अधिसूचना सं. एफ ई ए 5\(आर\)/2016-आर बी दिनांक 01 अप्रैल 2016](#) के द्वारा जारी विदेशी मुद्रा प्रबंध (जमा) विनियमों 2016 के साथ पठित विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (फेमा) की धारा 6 की उपधारा (3) के अनुसार विनियमित होता है। ये विनियम समय-समय पर संशोधित किए जाते हैं ताकि विनियामक फ्रेमवर्क में परिवर्तन शामिल किया जा सके और संशोधन अधिसूचनाओं के माध्यम से प्रकाशित किए जाते हैं।

2. आवश्यकतानुसार इन विनियमावलियों को क्रियान्वित करने के लिए, भारतीय रिज़र्व बैंक, विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम (फेमा) 1999 की धारा 11 के अधीन प्राधिकृत व्यक्तियों को निदेश भी जारी करता है।

3. विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 के अधीन जमाराशियों और खातों के रखरखाव पर जारी अनुदेश इस मास्टर निदेश में संकलित किए गए हैं। ऐसे परिपत्रों/ अधिसूचनाओं की सूची, जो अभी भी लागू हैं, [परिशिष्ट](#) में दी गई है जो इस मास्टर निदेश का आधार है। रिपोर्टिंग से जुड़े अनुदेश, रिपोर्टिंग पर जारी मास्टर निदेश में हैं ([मास्टर निदेश सं. 18 दिनांक 01 जनवरी, 2016](#))।

4. इस मास्टर निदेश में वर्तमान में किए जा रहे संशोधनों का उद्देश्य है अनिवासी बैंकों के वोस्टो खातों से संबंधित निदेशों को समेकित करना जिनमें 'मास्टर निदेश-जोखिम प्रबंधन और अंतर-बैंक लेन-देन' (एफएमआरडी मास्टर निदेश सं.1/2016-17, दिनांक 5 जुलाई 2016, समय-समय पर यथासंशोधित) के भाग-बी और भाग-ई के पैराग्राफ़ ए.(एक्स) में दिए गए निदेश शामिल हैं। इसके साथ ही, विशेष रूपया वास्टो खातों और गैर-निवासी विनियम गृहों के वास्टो खातों से संबंधित निदेशों का संदर्भ भी मास्टर निदेश में जोड़ा गया है और इसे इस मास्टर निदेश के नए सम्मिलित भाग III में प्रस्तुत किया गया है।

5. कृपया नोट किया जाए कि जब भी आवश्यक होगा, रिज़र्व बैंक अपने विनियमों में अथवा प्राधिकृत व्यक्तियों द्वारा उनके ग्राहकों/ घटकों के साथ किए जाने वाले संबंधित लेन-देन करने के तरीके में कोई परिवर्तन होने पर प्राधिकृत व्यक्तियों को एपी/टीआईआर सीरीज़ एपी/टीआईआर सीरीज़ के माध्यम से निदेश जारी करेगा। जारी किए जा रहे इस [मास्टर निदेश](#) को उपयुक्त रूप से साथ-साथ संशोधित किया जाएगा।

भवदीय

(एन. सैथिल कुमार)
 मुख्य महाप्रबंधक

*चूंकि इस मास्टर निदेश में कई संशोधन किए गए हैं, अतः इसे ट्रैक मोड में परिवर्तन दर्शाने स्थान पर पूरी तरह बदल दिया गया है। तथापि, परिवर्तनों की सूची मास्टर निदेश के अंत में भी दी गई है।

¹ एफईएम (भारत में निवासी व्यक्ति द्वारा विदेशी मुद्रा खाता) विनियमावली, 2000 को निरसित करते हुए 21 जनवरी 2016 से इसे एफईएम (भारत में निवासी व्यक्ति द्वारा विदेशी मुद्रा खाता) विनियमावली, 2015 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था।

² एफईएम (जमा) विनियमावली, 2000 को निरसित कर दिया गया था और 1 अप्रैल, 2016 से इसे एफईएम (जमा) विनियम, 2016 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था।

अनुक्रमणिका

क्र. सं.	विषय	पृष्ठ सं.
1	भाग I - भारत में निवासी व्यक्ति द्वारा विदेशी मुद्रा खाते खोलना, धारण करना तथा रखरखाव	4-14
2	भाग II - भारत से बाहर निवासी व्यक्ति द्वारा भारत में खाते खोलना, धारण करना और रखरखाव करना	14-26
3	भाग III - वोस्ट्रो खातों से संबंधित प्रावधान	27-29
4	परिशिष्ट	30-31

भाग I - भारत में निवासी व्यक्ति द्वारा विदेशी मुद्रा खाते खोलना, धारण करना तथा रखरखाव – चालू रखना

1. परिचय

1.1 विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999(एफईएमए) भारतीय रिजर्व बैंक को भारत में निवासी व्यक्ति को विदेशी मुद्रा खोलने, धारण करने तथा रखरखाव के संबंध में प्रतिबंध लगाने, सीमित करने तथा विनियमित करने के लिए विनियम बनाने की शक्ति प्रदान करता है और भारत में निवासी व्यक्ति द्वारा किस सीमा तक राशियां रखी जा सकती हैं, उनके बारे में विनियम बनाने की शक्ति प्रदान करता है। ये विनियम समय समय पर यथासंशोधित [अधिसूचना स. फेमा. 10 \(आर\) 2015-आरबी दिनांक 21 जनवरी, 2016](#) के अधीन अधिसूचित किए गए हैं।

1.2 भारत में निवासी व्यक्ति जिसने रिजर्व बैंक की विशेष या सामान्य अनुमति से एफईएमए 10 (आर) के प्रारंभ होने से पहले विदेशी मुद्रा खाता धारित या रखरखाव किया था, ऐसा करना जारी रख सकता है।

1.3 भारत में निवासी व्यक्ति भारत से बाहर विदेशी मुद्रा खाता रख सकता है यदि वह भारत से बाहर निवासी हो या भारत से बाहर निवासी व्यक्ति से उसे विरासत में मिला था।

2. परिभाषाएं

इस भाग में प्रयुक्त कुछ अति महत्वपूर्ण शब्द नीचे दिए गए हैं:-

2.1 'प्राधिकृत व्यापारी' (एडी) का अभिप्राय है फेमा अधिनियम की धारा 10 की उपधारा (1) के अधीन प्राधिकृत व्यापारी के रूप में प्राधिकृत व्यक्ति।

2.2 'विदेशी मुद्रा खाता' का अभिप्राय है भारत या नेपाल या भूटान की मुद्रा से इतर किसी मुद्रा में धारित या रखा खाता।

2.3 'संबंधी' कंपनी अधिनियम, 2013 की 5 धारा⁵ 2(77) में यथापरिभाषित व्यक्ति है।

2.4 'स्टार्टअप' वह इकाई है जो भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग द्वारा जारी 17 फरवरी 2016 की अधिसूचना संख्या जीएसआर 180 (ई) में निर्धारित शर्तों का अनुपालन करती है।

3. विदेशी मुद्रा खाते जो भारत में धारित किए जा सकते हैं:-

3.1 विदेशी मुद्रा अर्जक विदेशी मुद्रा खाता(ईईएफसी) – ईईएफसी खाता

भारत में निवासी व्यक्ति एफईएमए 10 (आर) की अधिसूची I में विनिर्दिष्ट शर्तों के अनुसार भारत में किसी प्राधिकृत व्यापारी के साथ ईईएफसी खाता खोल सकता है। मुख्य बातें:

1) क्रेडिट: इस खाते में अनुमत क्रेडिट हैं:

(ए) सामान्य बैंकिंग चैनल के माध्यम से आवक विप्रेषण द्वारा विदेशी मुद्रा अर्जन का 100 प्रतिशत (ऋणों या निवेशों से इतर):

(बी) काउंटर व्यापार के प्रयोजन के लिए प्राप्त भुगतान

³ दिनांक 12 अप्रैल, 2019 तक अद्यतन (सीएफ. एपी (डीआईआर सीरीज) परिपत्र संख्या 29, दिनांक 11 अप्रैल, 2019)। मूल मास्टर निदेश सं.14/2015-16 दिनांक 01 जनवरी 2016 को जारी किया गया था।

⁴ एफईएम (भारत में निवासी व्यक्ति द्वारा विदेशी मुद्रा खाते) विनियमावली, 2000 को निरस्त कर दिया गया था और इसे 21 जनवरी 2016 से एफईएम (भारत में निवासी व्यक्ति द्वारा विदेशी मुद्रा खाते) विनियमावली, 2015 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था।

⁵ एफईएम (भारत में निवासी व्यक्ति द्वारा विदेशी मुद्रा खाते) विनियमावली, 2015 द्वारा 21 जनवरी 2016 से अंतर्विष्ट। अंतर्विष्ट से पहले इसे "कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 6" के रूप में पढ़ा जाता था।

⁶ दिनांक 1 जून, 2016 की अधिसूचना सं.जीएसआर सं.570(ई) द्वारा अधिसूचित संशोधन [अधिसूचना सं. फेमा 10\(आर\)/\(1\)/2016-आरबी](#), जिसे [दिनांक 23 जून, 2016](#) के एपी (डीआईआर सीरीज) परिपत्र संख्या 77[(2)/10(आर)] द्वारा सूचित किया गया, के माध्यम से अंतर्विष्ट।

(सी) वस्तुओं या सेवाओं के निर्यात के लिए प्राप्त निर्यातक द्वारा अग्रिम विप्रेषण;

(डी) अपनी वैयक्तिक हैसियत में किसी व्यावसायिक द्वारा दी गयी सेवाओं के लिए प्राप्त निवेशक के शुल्क, परामर्श शुल्क, व्याख्यान शुल्क, मानदेय तथा इसी प्रकार के अर्जन सहित व्यावसायिक अर्जन

(ई) खाते में रखी निधियों पर अर्जित ब्याज

(एफ) खाते से पहले आहरित अप्रयुक्त विदेशी मुद्रा का पुनः क्रेडिट

(जी) व्यापार से संबंधित ऋणों/ अग्रिमों की चुकौती (जो ईईएफसी खाते में मंजूर की गई थी); तथा

(एच) एडीआर योजना, 2014 के अधीन निवासी खाता धारक द्वारा एडीआर/ जीडीआर के शेयर में परिवर्तन से विनिवेश प्राप्तियां

(आई) किसी भारतीय स्टार्ट अप को अथवा उसकी समुद्रपारीय अनुषंगी कंपनी को प्राप्त निर्यात अथवा बिक्री पर विदेशी मुद्रा में प्राप्त भुगतान राशि।

2) डेबिट: इन खातों में निम्नलिखित के डेबिट की अनुमति है:

(ए) क्रमशः विदेशी मुद्रा प्रबंध (अनुमत पूँजी खाता लेन-देन) विनियम, 2000 या विदेशी मुद्रा प्रबंध (चालू खाता लेन-देन) नियम, 2000 के उपबंधों के अनुसार पूँजी या चालू खाता लेनदेनों के लिए भारत से बाहर भुगतान;

(बी) 100 प्रतिशत निर्यातानुख इकाई या निर्यात प्रसंस्करण जोन / साप्टेअर टैक्नोलाजी पार्क/ इलैक्ट्रोनिक हार्डवेअर टैक्नोलाजी पार्क से वस्तुओं की लागत के लिए विदेशी मुद्रा में भुगतान;

(सी) निर्यात आयात नीति के प्रावधानों के अनुसार सीमा शुल्क का भुगतान;

(डी) एफईएमए के उपबंधों और उसके अधीन नियमों/ विनियमों के अनुपालन की शर्त के अधीन निर्यातिक खाताधारक द्वारा भारत से बाहर अपने आयातक ग्राहक को व्यापार से जुड़े ऋणों/ अग्रिमों का भुगतान;

(ई) भारत में निवासी व्यक्ति को हवाई किराया और होटल खर्च सहित वस्तुओं/ सेवाओं के लिये विदेशी मुद्रा में भुगतान।

3) इस खाते में से रूपये में आहरण की अनुमति है, बशर्ते इस प्रकार से आहरत राशि खाते में फिर से जमा नहीं की जाएगी।

4) खाता ब्याज-रहित खाते के रूप में होगा।

5) ईसीजीसी / बीमा कंपनियों द्वारा रूपये में निपटाये गये दावों को विदेशी मुद्रा में निर्यात प्राप्ति न समझा जाए और दावा राशि ईईएफसी खाते में पात्र जमा नहीं मानी जायेगी।

6) किसी कैलेंडर माह में खाते में प्राप्त राशियों का कुल जोड़ अनुमोदित प्रयोजनों या भावी प्रतिबद्धताओं के लिये समायोजन के बाद अगले कैलेंडर माह की अंतिम तारीख से पहले रूपयों में परिवर्तित किया जाना चाहिये।

7) ईईएफसी खातों में रखी शेष राशियों के विरुद्ध निधि-आधारित, गैर-निधि आधारित ऋण सुविधाएं प्रदान नहीं की जानी चाहिए।

8) जिस सीमा तक निर्यात वास्तव में हो गये हैं, उस सीमा तक ईईएफसी की शेष राशियों में से निर्यातिक पैकिंग क्रेडिट अग्रिम की चुकौती कर सकते हैं, चाहे रूपयों में या विदेशी मुद्रा में लिया गया हो।

9) आवासी स्थिति के निवासी से अनिवासी में परिवर्तन के परिणामस्वरूप, खाताधारकों के विकल्प/ अनुरोध पर खाते में धारित शेष जमाराशिया एनआरई / एफसीएनआर (बी) खातों में जमा की जा सकती है।

⁷ एफईएम (भारत में निवासी व्यक्ति द्वारा विदेशी मुद्रा खाते) विनियमावली, 2015 द्वारा 21 जनवरी 2016 से अंतर्विष्ट। अंतर्विष्ट से पहले इसे "भारत सरकार द्वारा अनुमोदित एडीआर/जीडीआर योजना" के रूप में पढ़ा जाता था।

⁸ दिनांक 1 जून 2016 को अधिसूचना सं.जीएसआर सं.570(ई) द्वारा अधिसूचित संशोधन [अधिसूचना सं. फैमा 10\(आर\)/\(1\)/2016-आरबी](#), जिसे दिनांक [23 जून 2016](#) के एपी (डीआईआर सीरीज) परिपत्र संख्या 77[(2)/10(आर)] द्वारा सूचित किया गया, के माध्यम से अंतर्विष्ट।

3.2 निवासी विदेशी मुद्रा खाता (आरएफसी) खाता - आरएफसी खाता

1) भारत में निवासी व्यक्ति प्राप्त या अधिग्रहित विदेशी मुद्रा में से भारत में एडी बैंक के साथ आरएफसी खाता खोल सकता है:

(ए) अपने विदेशी नियोक्ता से पेंशन या अधिवर्षिता लाभ या अन्य मौद्रिक लाभ के रूप में;

(बी) जब वह अनिवासी या तब उस समय अधिगृहीत आस्तियों या उत्तराधिकार में प्राप्त या भारत से बाहर निवासी व्यक्ति द्वारा उपहार में प्राप्त और भारत में प्रत्यावर्तित।

(सी) 8 जुलाई 1947 से पहले या रिजर्व बैंक द्वारा सामान्य या विशेष अनुमति के अनुसरण में भारत से बाहर धारित आय या उस पर अधिग्रहण।

(डी) बीमा विनियामक तथा विकास प्राधिकरण द्वारा अनुमत भारतीय बीमा कंपनी से विदेशी मुद्रा में एलआईसी दावों/परिपक्ता / अभ्यर्पित मूल्य से प्राप्त राशियां।

2) आरएफसी खाते में राशियां भारत से बाहर विदेशी मुद्रा शेष राशियों के प्रयोग के संबंध में सभी प्रतिबंधों से मुक्त हैं।

3) ऐसे खाते 'दोनों में से पूर्ववर्ती या उत्तरजीवी' आधार पर निवासी संबंधी के साथ संयुक्त रूप से धारित किए जा सकते हैं। तथापि, ऐसे निवासी भारतीय संबंधी संयुक्त धारक निवासी खाता धारक के जीवन काल में खाता परिवर्तित नहीं कर सकता।

4) एनआरई खाता और एफसीएनआर (बी) खाता में शेष राशियां आरएफसी खाते में क्रेडिट की जा सकती हैं, जब अनिवासी भारतीय या 'भारतीय मूल के व्यक्ति की स्थिति निवासी में परिवर्तित हो जाती है।

3.3 निवासी विदेशी मुद्रा (घरेलू) खाता आरएफसी (डी) खाता

1) निम्नलिखित विदेशी स्रोतों से निवासी व्यक्ति आरएफसी (डी) खाता खोल सकता है ताकि भारत में बैंक खाते में करेंसी नोट, बैंक नोट तथा यात्रा चेक के रूप में प्राप्त विदेशी मुद्रा रख सके:

(ए) भारत में कारोबार या कोई कार्य से न होने के कारण विदेश में दौरे के दौरान भुगतान;

(बी) व्यक्ति जो भारत के निवासी नहीं है और भारत के दौरे पर है, उससे प्राप्त मानदेय या उपहार या दी गई सेवाएं या किसी कानूनी दायित्व से निबटान;

(सी) भारत से बाहर दौरे पर मानदेय या उपहार;

(डी) किसी संबंधी से उपहार;

(ई) विदेश में यात्रा के लिए किसी प्राधिकृत व्यक्ति से प्राप्त अव्ययित विदेशी मुद्रा;

(एफ) निवासी व्यक्ति खाता धारक द्वारा ¹⁰डीआर योजना, 2014 के अधीन एडीआर/ जीडीआर में परिवर्तित शेयरों में होने के कारण विनिवेश प्राप्तियां;

(जी) बीमा विनियामक तथा विकास प्राधिकरण द्वारा अनुमत भारतीय बीमा कंपनी से विदेशी मुद्रा में एलआईसी दावों/परिपक्ता / अभ्यर्पित मूल्य से प्राप्त राशियां।

2) यह सुविधा समय समय पर यथासंशोधित रिजर्व बैंक की [अधिसूचना सं. एफईएमए 11 \(आर\)/2015 आरबी दिनांक 29 दिसम्बर 2015](#) के अधीन उपलब्ध के अतिरिक्त है।

⁹ [दिनांक 1 अप्रैल 2016 फेमा अधिसूचना संख्या 5 \(आर\)/2016-आरबी](#) द्वारा जारी [दिनांक 5 मई 2016 एपी के डीआईआर सीरीज़\]](#) परिपत्र संख्या 67/2015-16/[1(1)/5(आर)] के माध्यम से अंतर्विष्ट किया गया। इससे पहले, पीआईओ एनआरआई की परिभाषा के अंतर्गत आते थे।

¹⁰ एफईएम (भारत में निवासी व्यक्ति द्वारा विदेशी मुद्रा खाते) विनियमावली, 2015 द्वारा 21 जनवरी 2016 से अंतर्विष्ट। अंतर्विष्ट से पहले इसे "भारत सरकार द्वारा अनुमोदित एडीआर/जीडीआर योजना" के रूप में पढ़ा जाता था।

3) किसी कैलेंडर माह में खाते में प्राप्त राशियों का कुल जोड़ अनुमोदित प्रयोजनों या भावी प्रतिबद्धताओं के लिये समायोजन के बाद अगले कैलेंडर माह की अंतिम तारीख से पहले रूपयों में परिवर्तित किया जाना चाहिये।

4) क्रमशः विदेशी मुद्रा प्रबंध (चालू खाता लेनदेन) नियम, 2000 या विदेशी मुद्रा प्रबंध (अनुमत पूंजी खाता लेनदेन) विनियम 2000 के प्रावधानों के अधीन खाते में शेषों का प्रयोग किसी भी चालू या पूंजी खाता लेनदेन के लिए किया जा सकता है।

5) आवासी स्थिति के निवासी से अनिवासी में परिवर्तन के परिणामस्वरूप, खाताधारकों के विकल्प/ अनुरोध पर खाते में धारित शेष जमाराशियां एनआरई / एफसीएनआर (बी) खातों में जमा की जा सकती हैं।

3.4 डायमंड डालर खाता (डीडीए) योजना – डीडीए योजना

भारत सरकार की विदेश व्यापार नीति में विनिर्दिष्ट पात्रता मानदंड का अनुपालन कर रही फर्म तथा कंपनियां भारत के एडी के साथ डीडीए खाते खोल सकती हैं; जिनके विवरण एफईएमए 10 (आर) की अनुसूची II में, समय-समय पर यथासंशोधित में दिए गए हैं। योजना की मुख्य-मुख्य बातें निम्नानुसार हैं:-

1) रफ, कट और पौलिश हीरों की निर्यात प्राप्तियां और स्थानीय बिक्री(यूएसडी) में और शिपमेंट से पहले और बाद में लिए गए वित्त इस खाते में जमा किए जा सकते हैं।

2) रफ, कट और पौलिश हीरों की ख्रीद के भुगतान डीडीए खाते से किए जा सकते हैं। निधियां निर्यातक के रूपया खाते में भी अंतरित की जा सकती हैं।

3) खाता ब्याज-रहित चालू खातों में रखा जाना चाहिए।

4) किसी कैलेंडर माह में खाते में प्राप्त राशियों का कुल जोड़ अनुमोदित प्रयोजनों या भावी प्रतिबद्धताओं के लिये समायोजन के बाद अगले कैलेंडर माह की अंतिम तारीख से पहले रूपयों में परिवर्तित किया जाना चाहिये।

3.5 भारत से बाहर निगमित जहाजरानी या हवाई कंपनियों के भारतीय एजेंट विदेशी कंपनियों के स्थानीय खर्च पूरा करने के लिए भारत में विदेशी मुद्रा खाता रख सकते हैं। ऐसे खाते में अनुमत क्रेडिट है। भारत में उगाहे गए या भारत से बाहर उसके प्रमुख एजेंट से मालभाड़ा या यात्री किराया।

3.6 भारत में जहाज के लिए व्यक्ति उपलब्ध कराने/ क्रू का प्रबंधन कर रही एजेंसियां निम्नानुसार अपने कारोबार का सामान्य लेनदेन करने के लिए भारत में ब्याज रहित विदेशी मुद्रा खाता रख सकती हैं:-

1) क्रेडिट: विदेशी मूल से सामान्य बैंकिंग चैनलों के माध्यम से केवल आवक विप्रेषण

2) डेबिट: सामान्य कारोबार में जहाजों/ क्रू के प्रबंधन के संबंध में विभिन्न व्ययों के लिए

3) खाते में धारित निधियों के विस्तृद्वंद्व कोई क्रेडिट सुविधा (निधि आधारित या गैर-निधि आधारित) नहीं दी जानी चाहिए।

4) ऐसे खातों के संबंध में बैंक निर्धारित रिज़र्व आवश्यकताओं का पालन करें।

5) खाते में प्राप्त विप्रेषणों के लिए किसी ईईएफसी सुविधा की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

6) खाता केवल करार की वैधता के दौरान रखा जायेगा।

3.7 भारत में निष्पादित करने के लिए विदेशी कंपनियों के परियोजना कार्यालय भारत में एक या अधिक ब्याज-रहित खाते खोल सकते हैं। ऐसे खाते निम्नलिखित शर्तों के अधीन होंगे:-

1) परियोजना कार्यालय संबंधित परियोजना मंजूर करने वाले प्राधिकरण से वांछित अनुमोदन सहित रिज़र्व बैंक की सामान्य/ विशेष अनुमति से भारत में स्थापित किया गया है।

2) जिस संविदा के अधीन परियोजना मंजूर की गई है, विशिष्ट रूप से विदेशी मुद्रा में भुगतान करने का प्रावधान करती है।

3) प्रत्येक परियोजना के लिए केवल एक विदेशी मुद्रा खाता है।

4) डेबिट:

(ए) परियोजना से संबंधित व्यय का भुगतान।

5) क्रेडिट:

(ए) परियोजना मंजूर करने वाले प्राधिकरण से विदेशी मुद्रा प्राप्तियां और

(बी) विदेश से मूल/ समूह कंपनी से या द्विपक्षीय/ बहुपक्षीय अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय एजेंसी से विप्रेषण

6) परियोजना पूर्ण हो जाने पर विदेशी मुद्रा खाता बंद कर दिया जाना चाहिए।

7) निधियों का अंतर - परियोजना अंतरण रिज़र्व बैंक के उस क्षेत्रीय कार्यालय की अनुमति से होगा जिसके अधिकारक्षेत्र में परियोजना का कार्यालय स्थित है।

8) परियोजना कार्यालय और परियोजना मंजूर करने वाले प्राधिकरण या अन्य सरकारी/ गैर सरकारी एजेंसियों आदि के बीच विवाद होने पर, ऐसे खाते में रखी शेष राशि रूपये में परिवर्तित कर दी जायेगी और एक विशेष खाते में क्रेडिट कर दी जाएगी जिसे विवाद के निबटान के अनुसार हैंडल किया जायेगा।

3.8 अंतर्राष्ट्रीय विचारगोष्टियों, सम्मेलनों, कन्वेशन आदि के आयोजक निम्नलिखित शर्तों के अधीन भारत में अस्थाई विदेशी मुद्रा खाते खोल सकते हैं:-

1) क्रेडिट: सम्मेलन, कन्वेशन आदि के संबंध में विदेशी प्रतिनिधि द्वारा देय सभी विदेशी मुद्रा में आवक विप्रेषण – जैसे कि पंजीकरण शुल्क और दान

2) डेबिट: (i) आयोजकों के विशिष्ट आमंत्रण पर विदेशी / विशेष आमंत्रित व्यक्ति आदि के लिए यात्रा, होटल प्रभारों आदि के लिए भुगतान और विदेशी अतिथि वक्ताओं को मानदेय; (ii) विदेशी प्रतिनिधियों के पंजीकरण शुल्क को लौटाने के लिए विप्रेषण और अप्रयुक्त प्रायोजन/ अनुदान राशि, यदि कोई हो; (iii) बैंक प्रभार, यदि कोई हो; (iv) निधियों को रूपये में बदलना

3) अन्य सभी डेबिट/ क्रेडिट के लिए रिज़र्व बैंक का पूर्व अनुमोदन आवश्यक होगा।

4) सम्मेलन/ घटना के बाद खाता तुरंत बंद कर दिया जाना चाहिए।

3.9 ऐसा निर्यातिक जिसने भारत से बाहर निर्माण संविदा या टर्न की परियोजना ली है या जो आस्थगित भुगतान शर्तों पर सेवाएं निर्यात कर रहा है या इंजीनियरिंग वस्तुएं निर्यात कर रहा है, भारत में बैंक के साथ विदेशी मुद्रा खाता खोल, धारित और रखरखाव कर सकता है, बशर्ते कि समय समय पर यथासंशोधित विदेशी मुद्रा प्रबंध (वस्तुओं और सेवाओं का निर्यात) विनियम, 2015 के अधीन संविदा/ परियोजना, वस्तुओं या सेवाओं के लिए अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है और अनुमोदन के पत्र में विनिर्दिष्ट शर्तों का विधिवत पालन कर लिया गया है।

3.10 विशेष आर्थिक क्षेत्र में स्थित कोई इकाई उसके द्वारा प्राप्त सभी विदेशी मुद्रा निधियों के क्रेडिट के लिए भारत में किसी प्राधिकृत व्यापारी के साथ खाता खोल, धारण और रखरखाव कर सकती है।

1) इकाई और भारत में/ भारत से बाहर निवासी व्यक्ति के बीच वास्तविक व्यापार लेन देनों के लिए खातों का प्रयोग किया जा सकता है।

2) भारत में रूपये के विरुद्ध खरीदी गई विदेशी मुद्रा रिज़र्व बैंक की पूर्वानुमति के बिना खाते में क्रेडिट नहीं की जा सकती।

3) समय समय पर यथासंशोधित विदेशी मुद्रा प्रबंध (वालू खाता लेनदेन) नियमों के नियम 5 के अधीन प्रतिबंधों से खातों में शेष राशियां हैं, उपहार आदि के लिए शेष राशियों के प्रयोग को छोड़कर

4) इन खातों में धारित निधियां ऐसे किसी व्यक्ति या भारत में निवासी विशेष आर्थिक क्षेत्र की इकाई न होने पर उधार या उपलब्ध नहीं कराई जा सकती।

¹¹3.11 समय-समय पर यथासंशोधित 17 अक्टूबर 2019 के ¹²[विदेशी मुद्रा प्रबंध \(तैर-क्रण लिखत\) नियमावली, 2019](#) के अनुसार एफडीआई मार्ग के तहत विदेशी निवेश प्राप्त करने वाली भारतीय कंपनी भारत में किसी प्राधिकृत व्यापारी के पास विदेशी मुद्रा खाता खोल और बनाए रख सकती है, बशर्ते भारतीय निवेशग्राही कंपनी के पास आसन्न विदेशी मुद्रा व्यय हो और आवश्यकताओं के पूरा होने के तुरंत बाद या ऐसे खाते खोलने की तारीख से छह महीने के भीतर, जो भी पहले हो, यह खाता बंद कर दिया गया हो।

¹³3.12 भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीए) के साथ पंजीकृत पुनर्बीमा और मिश्रित बीमा दलाल अपने सामान्य कारोबार के सिलसिले में किए जाने वाले लेनदेन के प्रयोजन से भारत में किसी प्राधिकृत व्यापारी बैंक में ब्याज रहित विदेशी मुद्रा खाते खोल और रख सकते हैं।

4. ऐसे विदेशी मुद्रा खाते जो भारत से बाहर रखे जा सकते हैं

4.1 निम्नलिखित व्यक्ति सामान्य कारोबार और प्रासंगिक लेन देनों के लिए भारत से बाहर बैंक के साथ विदेशी मुद्रा खाता खोल सकते हैं।

क) भारत में प्राधिकृत व्यापारी जिसकी शाखा/ प्रधान कार्यालय/प्रतिनिधि भारत से बाहर हो।

ख) भारत में निगमित बैंक की भारत से बाहर शाखा।

ग) भारतीय जहाजरानी या हवाई कंपनी।

घ) ¹⁴बीमा/पुनर्बीमा व्यवसाय करने के लिए भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीए) में पंजीकृत बीमा/पुनर्बीमा कंपनियाँ।

ड) अपने विदेशी कार्यालय/ शाखा या भारत से बाहर नियोजित उसके प्रतिनिधि के नाम में भारतीय फर्म/ कंपनी/निगमित निकाय।

च) निर्यातक जो विदेश में सेवाओं और इंजीनियरिंग वस्तुओं का आस्थगित भुगतान शर्तों पर निर्यात कर रहा है या टर्न की परियोजना या निर्माण संविदा निष्पादित कर रहा है।

4.2 भारत में निवासी व्यक्ति जो अध्ययन के लिए विदेश गया है, अपने विदेश में प्रवास के दौरान भारत से बाहर बैंक के साथ विदेशी मुद्रा खाता खोल सकता है। भारत के खाते में सभी क्रेडिट एफईएमए तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों तथा विनियमों के अनुसार होने चाहिए। अध्ययन के ¹⁵बाद विद्यार्थी के भारत में लौटने के बाद, यह माना जायेगा कि खाता उदारीकृत विप्रेषण योजना के अधीन खोला गया है।

4.3 भारत में निवासी व्यक्ति जो विदेश के किसी देश में दौरे पर है, अपने विदेश में प्रवास के दौरान भारत से बाहर विदेशी मुद्रा खाता खोल सकता है। खाता धारक के भारत लौटने पर खाते में शेष राशियां भारत को प्रत्यावर्तित की जानी चाहिए।

4.4 प्रदर्शनी / व्यापार मेले में विदेश जा रहा व्यक्ति वस्तुओं की विक्रय राशियों को क्रेडिट करने के लिए भारत से बाहर बैंक के साथ खाता खोल सकता है। प्रदर्शनी / व्यापार मेले की समाप्ति की तारीख से एक माह के भीतर शेष राशियां भारत को प्रत्यावर्तित की जानी चाहिए।

¹¹ एफईएम (भारत में निवासी व्यक्ति द्वारा विदेशी मुद्रा खाते) विनियमावली, 2015 द्वारा 21 जनवरी 2016 से अंतर्विष्ट किया गया।

¹² विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर निवासी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण या निर्गम) विनियमावली, 2000 को भारत सरकार द्वारा 17 अक्टूबर 2019 को जारी [विदेशी मुद्रा प्रबंध \(तैर-क्रण लिखत\) नियमावली, 2019](#) द्वारा अधिक्रमित किया गया।

¹³ [फेमा 10\(आर\)\(2\) दिनांक 27 फरवरी 2019](#) और [एपी \(डीआईआर सीरीज़\)](#) परिपत्र सं.29 दिनांक 11 अप्रैल 2019 द्वारा अंतर्विष्ट किया गया।

¹⁴ [दिनांक 01 जून 2016 की फेमा अधिसूचना सं. 10/\(आर\)/\(1\)/2016-आरबी](#) के माध्यम से जारी [एपी \(डीआईआर सीरीज़\)](#) परिपत्र सं.77/[(2)/10(आर)] [दिनांक 23 जून 2016](#) द्वारा अंतर्विष्ट किया गया। अंतर्विष्ट से पूर्व, इसे इस प्रकार पढ़ा जाता था “भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) या भारतीय सामान्य बीमा निगम (GIC) और उसकी सहायक कंपनियाँ”।

¹⁵ एफईएम (भारत में निवासी व्यक्ति द्वारा विदेशी मुद्रा खाता) विनियमावली, 2015 द्वारा अंतर्विष्ट किया गया जो दिनांक 21 जनवरी 2016 से प्रभावी है। अंतर्विष्ट से पूर्व, इसे इस प्रकार पढ़ा जाता था “खाते में शेष राशि खाताधारक के भारत लौटने पर भारत में प्रत्यावर्तित की जानी चाहिए।”

4.5 भारत में देय उनके पूरे वेतन को विप्रेषित करने/ प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित व्यक्ति भारत से बाहर विदेशी मुद्रा खाता खोल सकते हैं:-

क) भारत में रहने वाला विदेशी नागरिक ¹⁶विदेशी कंपनी का कर्मचारी होने के कारण, भारत में सहायक कंपनी/ संयुक्त उद्यम / समूह कंपनी के कार्यालय/ शाखा में प्रतिनियुक्ति पर,

ख) भारतीय नागरिक, विदेशी कंपनी का कर्मचारी होने के कारण भारत में सहायक कंपनी/ संयुक्त उद्यम / समूह कंपनी के कार्यालय/ शाखा में प्रतिनियुक्ति पर

ग) भारतीय कंपनी के साथ नियोजित भारत में निवासी विदेशी नागरिक

4.6 कोई भारतीय पार्टी समय-समय पर यथासंशोधित विदेशी मुद्रा प्रबंध (किसी विदेशी प्रतिभूति का अंतरण या निर्गम) विनियम, 2004 के अधीन विदेश में प्रत्यक्ष निवेश के लिए विदेशी मुद्रा खाता खोल सकती है बशर्ते कि विदेशी विनियामक ऐसा खाता खोलने का अधिदेश देता है।

4.7 निवासी व्यक्ति उदारीकृत विप्रेषण योजना के अधीन विप्रेषण भेजने के प्रयोजन के लिए भारत से बाहर बैंक के साथ विदेशी मुद्रा खाता खोल सकता है।

4.8 ईसीबी जुटाने या एडीआर या जीडीआर के लिए संसाधन जुटाने की शर्त के अनुपालन के अधीन, जुटाई गयी निधियां उनके उपयोग या भारत में प्रत्यावर्तन होने तक, निधियां भारत से बाहर किसी बैंक में विदेशी मुद्रा खातों में रखी जा सकती हैं।

¹⁷4.9 स्टार्ट-अप उद्योगों को बढ़ावा देने संबंधी भारत सरकार की पहल के अनुसरण में, यह निर्णय लिया गया है कि ऐसे भारतीय स्टार्ट-अप, जिनकी समुद्रपारीय सहायक कंपनी हो, वे स्वयं द्वारा अथवा अपनी समुद्रपारीय सहायक कंपनी द्वारा विदेशी मुद्रा में प्राप्त निर्यातगत/ बिक्रीगत आय को जमा करने के प्रयोजन से भारत से बाहर के बैंकों में विदेशी मुद्रा खाते खोल सकते हैं। ऐसे खातों में धारित जमाराशियों को भारत से किये गए निर्यात की सीमा तक एवं समय-समय पर यथा-संशोधित [12 जनवरी 2016 को जारी विदेशी मुद्रा प्रबंधन \(माल और सेवाओं का निर्यात\) विनियमावली, 2015](#) के तहत निर्यातों की वसूली हेतु निर्धारित अवधि के भीतर भारत में प्रत्यावर्तित किया जाएगा।

¹⁸4.10 भारत में निवासी व्यक्ति, जो कि एक निर्यातक है, माल और सेवाओं के निर्यात के बदले निर्यातक द्वारा प्राप्त किए गए पूर्ण निर्यात मूल्य तथा अग्रिम विप्रेषण की वसूली के लिए भारत के बाहर किसी बैंक में विदेशी मुद्रा खाता खोल सकता है, धारण कर सकता है और बनाए रख सकता है। इस खाते में प्राप्त निधियों का उपयोग प्राप्ति के माह से -

(ए) अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में बैंक में रखे गए खातों के मामले में तीन महीने: या

(बी) अन्य सभी क्षेत्राधिकारों के लिए अगले महीने,

के अंत तक, निर्यातक द्वारा भारत में अपने आयातों के भुगतान या भावी प्रतिबद्धताओं के समायोजन के बाद भारत में प्रत्यावर्तन के उद्देश्य से किया जा सकता है, बशर्ते कि समय-समय पर यथा संशोधित विदेशी मुद्रा प्रबंध (माल और सेवाओं का निर्यात) विनियमावली, 2015, में यथा विनिर्दिष्ट वसूली और प्रत्यावर्तन संबंधी अपेक्षाएँ भी पूरी होती हों।"

¹⁶ [दिनांक 04 फरवरी 2016 के एपी \(डीआईआर\) सिरीज परिपत्र 44](#) द्वारा अंतर्विष्ट किया गया।

¹⁷ दिनांक 01 जून 2016 के जीएसआर.सं.570(ई) के माध्यम से अधिसूचित संशोधन [अधिसूचना सं.फेमा 10\(आर\)/\(1\)/2016-आरबी](#) द्वारा अंतर्विष्ट किया गया जिसे [दिनांक 23 जून 2016 के एपी \(डीआईआर सिरीज\) परिपत्र सं.77/\(2\)/10\(आर\)](#) द्वारा सूचित किया गया।

¹⁸ [06 अक्टूबर 2025 की अधिसूचना संख्या फेमा 10\(आर\)\(7\)/2025-आरबी](#) के माध्यम से इसे प्रतिस्थापित किया गया है। प्रतिस्थापित किए जाने के पूर्व इसे निम्न प्रकार पढ़ा जाता था: "भारत में निवासी व्यक्ति, जो कि एक निर्यातक है, माल और सेवाओं के निर्यात के बदले निर्यातक द्वारा प्राप्त किए गए पूर्ण निर्यात मूल्य तथा अग्रिम विप्रेषण की वसूली के लिए भारत के बाहर किसी बैंक में विदेशी मुद्रा खाता खोल सकता है, धारण कर सकता है और बनाए रख सकता है। इस खाते में प्राप्त निधियों का उपयोग प्राप्ति के अगले माह के अंत तक भारत में अपने आयात के लिए भुगतान या भावी प्रतिबद्धताओं के समायोजन के बाद भारत में प्रत्यावर्तन के उद्देश्य से किया जा सकता है, बशर्ते विदेशी मुद्रा प्रबंध (माल और सेवाओं का निर्यात) विनियमावली, 2015 के विनियम 9 में यथा विनिर्दिष्ट वसूली और प्रत्यावर्तन संबंधी अपेक्षाएँ भी पूरी होती हों।"

5. विविध

5.1 जब तक कि अन्यथा विनिर्दिष्ट न किया गया हो, समय-समय पर यथासंशोधित, विदेशी मुद्रा प्रबंध, (भारत में निवासी व्यक्ति द्वारा विदेशी मुद्रा खाते) विनियम, 2015 दिनांक 21 जनवरी 2016 के अधीन विदेशी मुद्रा खाता, खाताधारक के व्यक्ति होने पर चालू या बचत या मीयादी खाते के रूप में हो सकता है और अन्य मामलों में चालू खाता या मीयादी जमा खाते के रूप में हो सकता है।

5.2 खाता एकल या संयुक्त रूप से खाता खोलने, धारण करने और रखरखाव के लिए पात्र व्यक्ति द्वारा धारित किया जा सकता है।

5.3 विदेशी मुद्रा खाता धारक की मृत्यु होने पर -

ए) जिस प्राधिकृत व्यापारी के साथ खाता धारित है या रखरखाव किया जाता है, मृत खाता धारक के हिस्से या पात्रता की सीमा तक निधियां भारत से बाहर निवासी व्यक्ति नामिति को विप्रेषित की जा सकती हैं;

बी) नामिति जो भारत में निवासी व्यक्ति है, जो अपनी देयताएं पूरी करने के लिए अपने हिस्से की निधियां भारत से बाहर विप्रेषित करने के लिए इच्छुक है, ऐसे विप्रेषण के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक को अनुरोध कर सकता है।

सी) ¹⁹विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत में निवासी व्यक्ति द्वारा विदेशी मुद्रा खाते) विनियम 2015, दिनांक 21 जनवरी, 2016 के विनियम 5 के अनुसार (अर्थात्, इस मास्टर निदेश के भाग I के पैराग्राफ 4) के अनुसार भारत से बाहर धारित निवासी नामिती को खाता बंद करना होगा और बैंकिंग चैनलों के माध्यम से निधियां भारत को प्रत्यावर्तित करनी होगीं।

भाग II - भारत से बाहर निवासी व्यक्ति द्वारा भारत में खाते खोलना, धारण करना और रखरखाव करना

1. परिचय

1.1 विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (एफईएमए) रिज़र्व बैंक को भारत में निवासी व्यक्ति और भारत से बाहर व्यक्ति के बीच जमा राशियों के रखरखाव को सीमित, विनियमित और प्रतिबंधित करने के लिए विनियम बनाने की शक्ति प्रदान करता है। ये विनियम समय समय पर यथासंशोधित ²⁰अधिसूचना सं. एफईएमए 5 (आर)/2016-आरबी दिनांक 01 अप्रैल 2016 (एफईएमए 5 (आर)) के अधीन अधिसूचित किए गए हैं।

2. परिभाषाएं

विनियमों में प्रयुक्त कुछ प्रमुख शब्द नीचे दिये गए हैं:

2.1 'प्राधिकृत बैंक' सहकारी बैंक सहित वह बैंक है जिसे रिज़र्व बैंक द्वारा भारत से बाहर निवासी व्यक्ति का खाता रखने के लिए प्राधिकृत किया गया है।

2.2 'प्राधिकृत व्यापारी' एफईएमए की धारा 10 की उप-धारा (1) के अधीन प्राधिकृत व्यापारी के रूप में प्राधिकृत व्यक्ति है।

2.3 'जमा राशि' में किसी बैंक, कंपनी, स्वामित्व संस्था, भागीदारी फर्म, कंपनी निकाय, न्यास या किसी अन्य व्यक्ति के साथ धन जमा करना शामिल है।

2.4 ²¹‘अनिवासी भारतीय’ (एनआरआई) भारत से बाहर निवासी व्यक्ति है जो भारत का नागरिक है।

¹⁹ दिनांक 21 जनवरी 2016 से एफईएम (भारत में निवासी व्यक्ति द्वारा विदेशी मुद्रा खाते) विनियमावली, 2015 द्वारा अंतर्विष्ट किया गया।

²⁰ एफईएम (जमा) विनियमावली, 2000 का निरसन कर दिया गया और 01 अप्रैल 2016 से इसे एफईएम (जमा) विनियमावली, 2016 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया।

²¹ दिनांक 01 अप्रैल 2016 की फेमा अधिसूचना सं. 5/(आर)/2016-आरबी के आधार पर जारी एपी (डीआईआर सिरीज़) परिपत्र सं.67/(1)/(5)(आर), दिनांक 5 मई 2016 द्वारा अंतर्विष्ट किया गया। अंतर्विष्ट से पूर्व, इसे इस प्रकार पढ़ा जाता था "अनिवासी भारतीय" (एनआरआई) भारत के बाहर रहने वाला व्यक्ति है जो भारत का नागरिक है या "भारतीय मूल का व्यक्ति है।"

2.5 ²²‘भारतीय मूल का व्यक्ति’ (पीआईओ) भारत से बाहर निवासी वह व्यक्ति है जो बांग्ला देश या पाकिस्तान से इतर, केंद्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट कोई अन्य देश है, निम्नलिखित शर्तें पूरी करता है:

क) जो भारतीय संविधान के कारण या नागरिकता अधिनियम, 1955 (1955 का 57) के कारण भारत का नागरिक था, या

ख) ऐसे क्षेत्र का था जो 15 अगस्त 1947 के बाद भारत का भाग बन गया; या

ग) भारतीय नागरिक का या खंड क) या ख) में उल्लिखित व्यक्ति का चाईल्ड या ग्रैंड चाईल्ड या ग्रेट ग्रैंड चाईल्ड है; या

घ) भारतीय नागरिक के विदेशी मूल का पति/ पत्नी है या खंड क) या ख) या ग) में उल्लिखित विदेशी मूल का पति/पत्नी है।

स्पष्टीकरण- पीआईओ में नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 7(ए) की परिभाषा के भीतर ‘भारत का समुद्रपारीय नागरिक’ शामिल होगा

2.6 ‘अनुमत मुद्रा’ विदेशी मुद्रा है जो मुक्त रूप से परिवर्तनीय है।

2.7 ²³‘संबंधी’ का अभिप्राय है कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(77) में यथापरिभाषित।

2.8 ²⁴चूंकि एफईएम (जमा) विनियम, 2000 निरस्त कर दिए गए हैं और 01 अप्रैल, 2016 से उनका स्थान एफईएम (जमा) विनियम, 2016 ने ले लिया है, इसलिए एनआरआई, जहाँ आया, उसका स्थान एनआरआई तथा/ या पीआईओ ने ले लिया है। इससे पहले पीआईओ, एनआरआई की परिभाषा में आते थे।

3. छूट

ये प्रतिबंध निम्नलिखित पर लागू नहीं हैं:

3.1 विदेशी राजनीतिक दूतावासों और राजनीतिक कार्मिकों द्वारा रखे रूपये खातों में जमा राशियां और विशेष रूपये खाते

3.2 राजनीतिक दूतावासों, राजनीतिक कार्मिकों और गैर-राजनीतिक स्टाफ द्वारा रखे विदेशी मुद्रा खाते जो संबंधित विदेशी राजनीतिकों के राष्ट्रिक हैं और भारत में विदेशी दूतावासों का आधिकरिक पासपोर्ट रखते हैं, बशर्ते कि

ए) खाते में अनुमत क्रेडिट बैंकिंग चैनल के माध्यम से भारत से बाहर से प्राप्त आवक विप्रेषण होंगे; और भारत में राजनीतिक दूतावासों के रूपया खाते में से, जो भारत में उगाहे जाते हैं जैसे कि वीजा शुल्क और ऐसे खाते में क्रेडिट

बी) ऐसे खाते की निधियां यदि रूपये में परिवर्तित की जाएं तो विदेशी मुद्रा में फिर से परिवर्तित नहीं की जा सकतीं।

सी) खाता चालू खाता या मीयादी जमा राशि खाते के रूप में रखा जा सकता है और राजनीतिक कार्मिकों तथा गैर-राजनीतिक स्टाफ के मामले में, बचत खाते के रूप में रखा जा सकता है।

डी) बचत खातों या मीयादी जमाराशियों पर ब्याज की दर वह होगी जो खाता रख रहे प्राधिकृत व्यापारी द्वारा निर्धारित की जाए।

ई) खाते की निधियां रिजर्ब बैंक के अनुमोदन के बिना भारत से बाहर प्रत्यावर्तित की जा सकती हैं।

²² एपी (डीआईआर सीरीज़) परिपत्र संख्या 67/2015-16/[1(1)/5(आर)] दिनांक 5 मई, 2016 द्वारा फेमा अधिसूचना संख्या 5 (आर)/2016-आरबी दिनांक 1 अप्रैल, 2016 द्वारा अंतर्विष्ट किया गया। अंतर्विष्ट से पूर्व इसे “भारतीय मूल का व्यक्ति” (पीआईओ) के रूप में पढ़ा जाता था, जिसका अर्थ है बांग्लादेश या पाकिस्तान के अलावा किसी भी देश का नागरिक, जो कि (ए) किसी भी समय भारतीय पासपोर्ट धारित करता था अथवा (बी) वह या उसके माता-पिता या उसके दादा-दादी में से कोई भी भारत के संविधान या नागरिकता अधिनियम, 1955 के आधार पर भारत का नागरिक था; या (सी) वह व्यक्ति किसी भारतीय नागरिक अथवा उपर्युक्त (ए) या (बी) में संदर्भित व्यक्ति का पति या पत्नी है।

²³ दिनांक 1 अप्रैल 2016 की फेमा अधिसूचना संख्या 5 (आर)/2016-आरबी के आधार पर जारी दिनांक 5 मई, 2016 के एपी (डीआईआर सीरीज़) परिपत्र संख्या 67/2015-16/[1(1)/5(आर)] द्वारा अंतर्विष्ट किया गया। अंतर्विष्ट से पूर्व इसे “कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 6” पढ़ा जाता था।

²⁴ दिनांक 1 अप्रैल 2016 की फेमा अधिसूचना संख्या 5 (आर)/2016-आरबी के आधार पर जारी दिनांक 5 मई, 2016 के एपी (डीआईआर सीरीज़) परिपत्र संख्या 67/2015-16/[1(1)/5(आर)] द्वारा अंतर्विष्ट किया गया।

3.3 नेपाल और भूटान में निवासी व्यक्तियों द्वारा रूपये में रखी प्राधिकृत व्यापारी के साथ जमाराशियां

3.4 बहुपक्षीय संगठन और उसकी सहायक संस्थाओं/ सम्बद्ध निकायों और भारत में पदाधिकारियों द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति के साथ जमाराशियां, जिनका भारत एक सदस्य देश है।

4. अनिवासी भारतीय खाता (एनआरई खाता)

इस खाते को खोलने तथा रखरखाव करने के लिए विस्तृत अनुदेश समय-समय पर यथासंशोधित विदेशी मुद्रा प्रबंध (जमा) विनियम 2016 की अनुसूची 1 में निर्धारित किए गए हैं।

4.1 अनिवासी भारतीय (एनआरआई) और भारतीय मूल की व्यक्ति (पीआइओ) रिज़र्व बैंक द्वारा प्राधिकृत व्यापारियों और बैंकों (सहकारी बैंकों सहित) के साथ खोल और रख सकते हैं।

4.2 खाते किसी भी रूप में अर्थात बचत, चालू आवर्ती या नियत जमा राशि, आदि में रखे जा सकते हैं।

4.3 संयुक्त खाते दो या अधिक पहला या एनआरआई और/ या पीआइओ द्वारा या निवासी संबंधी के साथ एनआरआई / पीआईओ द्वारा 'पूर्ववर्ती' पहला या उत्तरजीवी' आधार पर खोले जा सकते हैं। तथापि, एनआरआई/ पीआईओ खाता धारक के जीवनकाल के दौरान निवासी संबंधी खाता केवल पावर आफ अटर्नी धारक के रूप में खाता परिचालित कर सकता है।

4.4 खाते में आवक विप्रेषण और भारत के बाहर से एनआरआई खाते से विप्रेषण की अनुमति है।

4.5 इस खाते में, आवक विप्रेषण के रूप में अनुमत क्रेडिट है – खाते में उपचित हो रहा ब्याज, निवेश पर ब्याज, अन्य एनआरई / एफसीएनआर (बी) खातों से परिपक्ता राशियां यदि ऐसे निवेश इस खाते से या आवक विप्रेषण के माध्यम से किए गए हैं।

4.6 इस खाते से अनुमत डेबिट है – स्थानीय संवितरण, अन्य एनआरई / एफसीएनआर (बी) खाते और भारत में निवेश।

4.7 चालू आय जैसे कि भाड़ा, लाभांश, पेंशन, ब्याज आदि को एनआरई खाते में अनुमत क्रेडिट माना जायेगा बशर्ते कि प्राधिकृत व्यापारी इस बात से संतुष्ट हो कि क्रेडिट एनआरआई/ पीआईओ खाता धारक की चालू आय है और उस पर, यथास्थिति, आय कर दिया गया है/ प्रावधान कर लिया गया है।

4.8 ²⁵ऋणों की मंजूरी के लिए विनियम निम्नानुसार हैं:

4.8.1 भारत में प्राधिकृत व्यापारी/ बैंक सामान्य मार्जिन आवश्यकताओं की शर्त के अधीन, बिना किसी सीमा के, एनआरई खातों में रखी निधियों के विरुद्ध भारत में खाता धारक/ अन्य पार्टी को ऋण दे सकते हैं। ऋण भारत से बाहर प्रत्यावर्तित नहीं किया जा सकता और निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए होगा:

ए) वैयक्तिक प्रयोजनों या कारोबारी गतिविधिया करने फिर से ऋण देने या कृषि/ प्लान्टेशन गतिविधियों सिवाय के लिए या स्थावर संपदा कारोबार में निवेश के लिए।

बी) अधिनियम के अधीन संबंधित विनियमों की उपबंधों के अधीन भारतीय फर्मों / कंपनियों की पूँजी में अंशदान के लिए गैर-प्रत्यावर्तन आधार पर भारत में प्रत्यक्ष निवेश।

सी) अधिनियम के अधीन संबंधित विनियमों के उपबंधों के अधीन स्वयं अपने आवासीय प्रयोग के लिए भारत में फ्लैट / मकान अधिग्रत करने के लिए किसी अन्य पार्टी को ऋण मंजूर करने की स्थिति में, निवासी व्यक्ति/ फर्म/कंपनीको ऐसी सुविधाओं के लिए अनिवासी जमाकर्ता द्वारा अपनी जमाराशियां गिरवी रखने के संबंध में कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष विदेशी मुद्रा देयता नहीं होनी चाहिए।

²⁵ दिनांक 5 मई, 2016 के एपी (डीआईआर सीरीज) परिपत्र संख्या 67/2015-16/[(1)/5 (आर)] द्वारा अंतर्विष्ट किया गया। अंतर्विष्ट से पूर्व इसे इस प्रकार पढ़ा जाता था, "प्राधिकृत व्यापारी या उसकी विदेशी शाखा/ संवाददाता सामान्य मार्जिन आवश्यकताओं के अधीन बिना किसी सीमा के क्रमशः भारत में या उसके बाहर खाता धारक/ तीसरे पक्ष को धन की प्रतिभूति के बदले ऋण प्रदान कर सकते हैं। जमाराशियों के परिपक्तापूर्व आहरण की सुविधा उन मामलों में उपलब्ध नहीं होगी जहां ऐसी जमाराशियों पर ऋण लिया गया हो। "ऋण" शब्द में सभी प्रकार की निधि आधारित/ गैर-निधि आधारित सुविधाएं शामिल होंगी।

खाता धारक को मंजूर किए गए ऋण के संबंध में, इसकी चुकौती या तो जमा राशियों में से समायोजन द्वारा या सामान्य बैंकिंग चैनल के माध्यम से भारत से बाहर आवक विप्रेषणों में से या खाता धारक के एनआरओ खाते में शेष से की जा सकती है।

4.8.2 प्राधिकृत व्यापारी भारत में एनआरआई खातों में रखी निधियों के विरुद्ध भारत से बाहर अपनी शाखाओं/ प्रतिनिधि बैंकों को अनिवासी जमाकर्ताओं या अन्य पार्टियों को ऋण स्वीकृत कर सकते हैं और भारत से निधियों के विप्रेषण, यदि आवश्यक हो, तो बकाया शेष को समाप्त करने के लिए भी सहमति दे सकते हैं।

4.8.3 जमा राशियों के समयपूर्व आहरण की सुविधा वहाँ उपलब्ध नहीं होगी जहाँ ऐसी जमाराशियों के विरुद्ध ऋण लिए गए हैं।

4.8.4 ऋण में सभी प्रकार की निधि आधारित/ गैर-निधि आधारित सुविधाएं शामिल होंगी।

4.9 खाता धारक के विकल्प पर एनआरई खातों को तुरंत निवासी खाते विनिर्दिष्ट किया जाना चाहिए या इन खातों में रखी निधिया आरएफसी खातों में अंतरित कर दी जानी चाहिए, यदि खाता धारक नियोजन के लिए भारत लौटता है या आवसीय स्थिति में परिवर्तन हो जाता है।

4.10 खाता धारक की मृत्यु हो जाने पर मृत खाता धारक के अनिवासी नामिती के खाते में जमा राशियां अंतरित की जा सकती हैं। तथापि, देयताओं को पूरा करने के लिए, यदि कोई हो, मृत खाता धारक के निवासी नामिती से भारत से बाहर निधियों के विप्रेषण, या इसी प्रकार के प्रयोजन के लिए अनुरोध विचारार्थ रिज़र्व बैंक को अग्रेषित किए जाने चाहिए।

4.11 एनआरई खाते परिचालन को आफ अटोर्नी या निवासी के पक्ष में अनिवासी खाता धारक द्वारा कोई अन्य प्राधिकार होने पर अनुमति दी जा सकती है। बशर्ते कि ऐसे परिचालन सामान्य बैंकिंग चैनलों से स्थानीय भुगतानों के आहरण या स्वयं खाता धारक को विप्रेषण किए जाएं। जहाँ धाता धारक या उसके द्वारा नामित बैंक भारत में निवेश करने का पात्र है, पावर आफ अटर्नी धारक को ऐसे निवेश को सुविधाजनक बनाने के लिए खाता परिचालन करने की अनुमति दी जानी चाहिए। निवासी पावर आफ अटर्नी धारक को (ए) एनआरई खाता खोलने; (बी) खाता धारक के स्वयं के खाते से इतर भारत से बाहर निधियां प्रत्यावर्तित करने; (सी) खाता धारक की ओर से निवासी को उपहार के द्वारा भुगतान करने; (डी) खाते से किसी दूसरे एनआरई खाते में निधियां अंतरित करने की अनुमति नहीं है।

4.12 एनआरई खातों में जमा राशियों से ब्याज पर आय, आय कर से मुक्त है। इसी प्रकार ऐसे खातों की राशिया धन कर से मुक्त हैं।

4.13 इन खातों पर लागू ब्याज की दर और अवधि बैंकिंग विनियमन विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेशों/ अनुदेशों के अनुसार होगी।

5. विदेशी मुद्रा (अनिवासी) (बैंक) खाता – FCNR (B) खाता

इस खाते को खोलने और रखरखाव करने लिए विस्तृत अनुदेश समय-समय पर यथासंशोधित विदेशी मुद्रा प्रबंध (जमा) विनियम, 2016 की अनुसूची 2 में दिए गए हैं। योजना की मुख्य-मुख्य बातें निम्नानुसार हैं:-

5.1 अनिवासी भारतीय (एनआरआई) और भारतीय मूल के व्यक्ति (पीआईओ) रिज़र्व बैंक द्वारा प्राधिकृत, प्राधिकृत व्यापारी और बैंकों के साथ खाते खोल और रख सकते हैं। जमा राशियां किसी भी अनुमत मुद्रा में प्राप्त की जा सकती हैं।

5.2 खाते केवल नियत जमाराशि रूप में ही रखे जा सकते हैं।

5.3 एनआरई खाते पर लागू अन्य शर्तें जैसे कि क्रेडिट/ डेबिट, संयुक्त खाते, ऋण / ओवरड्राफ्ट, पावर आफ अटर्नी द्वारा परिचालन आदि, एफसीएनआर (बी) पर भी लागू होंगे।

5.4 इन खातों पर लागू ब्याज की दर और अवधि बैंकिंग विनियमन विभाग, रिज़र्व बैंक के निदेशों/ अनुदेशों के अनुसार होगी।

6. अनिवासी (सामान्य) खाता योजना – एनआरओ खाता

इस खाते को खोलने और रखने के लिए विस्तृत अनुदेश समय समय पर यथासंशोधित विदेशी मुद्रा प्रबंध (जमा) विनियम, 2016 की अनुसूची 3 के अनुसार होंगे। योजना की मुख्य बातें निम्नानुसार हैं:-

6.1 भारत से बाहर निवासी कोई भी व्यक्ति (एफईएमए की धारा 2 (डब्ल्यू) के अनुसार) प्राधिकृत व्यापारी या प्राधिकृत बैंक के साथ एनआरओ खाता खोल और रख सकता है जिससे भारतीय रूपयों में वर्गीकृत वास्तविक लेनदेन किए जा सकें।

6.2 भारत में डाक घर भारत से बाहर निवासी व्यक्तियों के नाम में बचत बैंक खाता खोल सकते हैं और उन्हीं शर्तों के अधीन प्रचालन की अनुमति दे सकते हैं जो प्राधिकृत व्यापारी/ प्राधिकृत बैंक के साथ रखे एनआरओ खातों पर लागू हैं।

6.3 भारत का दौरा कर रहे गैर-भारतीय मूल का विदेशी नागरिक बैंकिंग चैनल के माध्यम से भारत से बाहर विप्रेषित निधियों या भारत में लाई गई विदेशी मुद्रा की बिक्री से एनआरओ (चालू/ बचत) खाता खोल सकता है। भारत से प्रस्थान करते समय एनआरओ में जमा शेष राशि का भुगतान खाता धारक को किया जा सकता है बशर्ते कि खाता छ: माह से अनधिक की अवधि के लिए रखा गया है और खाते में उस पर उपचित ब्याज से इतर कोई स्थानीय निधियां जमा नहीं की गई हैं।

6.4 ²⁶क्रियावाली के व्यक्तियों/ संस्थाओं द्वारा खाते खोलना:

(क) पाकिस्तान की राष्ट्रीयता/स्वामित्व वाले व्यष्टियों/ संस्थाओं और बांग्लादेश के स्वामित्व वाली संस्थाओं द्वारा खाते खोलने के लिए रिज़र्व बैंक का पूर्वानुमोदन अपेक्षित है। तथापि, बांग्लादेश की राष्ट्रीयता वाले व्यष्टियों को ऐसे खाते खोलने की अनुमति दी जा सकती है बशर्ते उनके पास वैध वीजा और संबंधित विदेशी नागरिक पंजीकरण कार्यालय (एफआरओ)/ विदेशी नागरिक क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय (एफआरआरओ) द्वारा जारी वैध आवासीय परमिट हो।

(ख) प्राधिकृत व्यापारी भारत में रह रहे बांग्लादेश या पाकिस्तान के किसी नागरिक, जो उन देशों के अल्पसंख्यक समुदायों अर्थात् हिन्दू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईराई से आता है और जिसे केन्द्र सरकार द्वारा दीर्घावधिक वीजा (एलटीवी) प्रदान किया गया है, के लिए केवल एक अनिवासी साधारण (एनआरओ) खाता खोल सकते हैं। ऐसा व्यक्ति जब भारत का नागरिक हो जाएगा, तब उसके इस खाते को निवासी खाते में बदल दिया जाएगा। यह खाता तब भी खोला जा सकता है जब ऐसे व्यक्ति ने एलटीवी के लिए आवेदन किया है जो केंद्र सरकार के विचाराधीन है, जिस स्थिति में खाता छह महीने की अवधि के लिए खोला जाएगा और उसे छह महीनों के अंतराल पर इसे नवीनीकृत किया जा सकता है, बशर्ते उस व्यक्ति के पास वैध वीजा और संबंधित विदेशी नागरिक पंजीकरण कार्यालय (एफआरओ)/ विदेशी नागरिक क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय (एफआरआरओ) द्वारा जारी वैध आवासीय परमिट हो। ऐसे एनआरओ खाते खोले जाने पर संबंधित प्राधिकृत बैंक द्वारा खोले गए खातों के ब्यारे की रिपोर्ट तिमाही आधार पर गृह मंत्रालय को भेजनी होगी। इस रिपोर्ट में निम्नलिखित ब्योरा देना होगा (i) व्यक्ति/व्यक्तियों के नाम; (ii) भारत में आगमन की तारीख; (iii) पासपोर्ट नं. और जारी करने का स्थान/देश; (iv) आवासीय परमिट/ दीर्घकालिक वीजा संदर्भ संख्या और जारी करने की तारीख एवं स्थान; (v) संबंधित एफआरओ/एफआरआरओ का नाम; (vi) उस शाखा का पूरा पता और संपर्क नंबर जहां बैंक खाता रखा जा रहा है। प्राधिकृत व्यापारी बैंक का प्रधान कार्यालय तिमाही आधार पर अवर सचिव (विदेशी नागरिक), गृह मंत्रालय, एनडीसीसी-II बिल्डिंग, जय सिंह रोड, नई दिल्ली – 110 001 को उपर्युक्त ब्योरा भेजेगा। एडी बैंकों को सूचित किया जाता है कि वे इन अनुदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें।

6.5 खाते किसी भी रूप में खोले जा सकते हैं अर्थात् बचत, चालू, आवर्ती या नियत अवधि खाता।

6.6 निवासी व्यक्तियों के साथ खाते संयुक्त रूप से ²⁷पूर्ववर्ती व्यक्ति या उत्तरजीवी व्यक्ति के आधार पर खोले जा सकते हैं। एनआरआई और पीआईओ संयुक्त रूप से अन्य एनआरआई और पीआईओ के साथ खाता खोल सकते हैं।

²⁶ दिनांक 09 नवंबर, 2018 की अधिसूचना सं. फेमा 5 (आर)(1)/2018-आरबी के माध्यम से जारी विदेशी मुद्रा प्रबंध (जमाराशि) (संशोधन) विनियमावली, 2018 और दिनांक 28 मार्च 2019 के एपी (डीआईआर सीरीज़) परिपत्र संख्या 28 के माध्यम से (ए) और (बी) अंतर्विष्ट करते हुए संशोधित। अंतर्विष्ट से पूर्व इसे इस प्रकार पढ़ा जाता था- "पाकिस्तान की राष्ट्रीयता/ स्वामित्व वाले व्यष्टियों/ संस्थाओं और बांग्लादेश के स्वामित्व वाली संस्थाओं का खाता खोलने के लिए रिज़र्व बैंक का पूर्व अनुमोदन अपेक्षित है। हालांकि, बांग्लादेश की नागरिकता वाले ऐसे व्यक्तियों को इन खातों को खोलने की अनुमति दी जा सकती है, जो संबंधित विदेशी नागरिकता पंजीकरण कार्यालय (एफआरओ)/विदेशी नागरिकता क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय (एफआरआरओ) द्वारा जारी वैध वीजा और वैध आवासीय परमिट रखते हों।

²⁷ दिनांक 1 अप्रैल 2016 की फेमा अधिसूचना संख्या 5 (आर)/2016-आरबी के आधार पर जारी एपी (डीआईआर सीरीज़) परिपत्र संख्या 67/2015-16/[(1)/5 (आर)], दिनांक 5 मई 2016 द्वारा अंतर्विष्ट किया गया।

6.7 भारत से बाहर से आवक विप्रेषण, भारत में वैध देयताएं और अन्य एनआरओ खातों से ²⁸अंतरण एनआरओ खाते में अनुमत एनआरओ क्रेडिट है। उदारीकृत विप्रेषण योजना के अधीन निर्धारित सीमा के भीतर निवासी द्वारा एनआरआई/पीआईओ संबंधी को दिए गए रूपया उपहार/ऋण संबंधी के एनआरओ खाते में जमा किए जाए।

6.8 स्थानीय भुगतानों के प्रयोजनों, अन्य एनआरओ खातों या विदेश में चालू खाते का ²⁹विप्रेषण के लिए खाता डेबिट किया जा सकता है। इनके अलावा एनआरओ खाते में शेष विदेश में प्रत्यावर्तित नहीं किए जा सकते सिवाय एनआरआई/पीआईओ द्वारा 1 मिलियन अमरिकी डालर तक 1 मिलियन डालर विदेशी मुद्रा प्रबंध (आस्तियों का विप्रेषण) विनियम, ³⁰2016 में निर्धारित शर्तों के अधीन। सुविधा के भीतर निधियां एनआरआई खाते में अंतरित की जा सकती हैं।

6.9 सामान्य शर्तों और मार्जिन आवश्यकताओं के अधीन जमाराशियों के विरुद्ध खाता धारक या अन्य पार्टी को भारत में ऋण प्रदान किए जा सकते हैं। ऋण राशि का प्रयोग पुनः उधार देने, कृषि/प्लान्टेशन गतिविधियों या स्थावर रूपयों में निवेश के लिए नहीं किया जाएगा।

6.10 अनिश्चित अवधि के लिए भारत में रहने की इच्छा के प्रयोजन के लिए खाता धारक के भारत लौटने पर एनआरओ खातों को निवासी खातों के रूप में निर्दिष्ट किया जाना चाहिए। इसी प्रकार, जब कोई निवासी भारतीय भारत से बाहर निवासी व्यक्ति बन जाता है, तो उसका विद्यमान खाता एनआरओ खाते के रूप में निर्दिष्ट किया जाना चाहिए।

6.11 अनिवासी भारतीय द्वारा किसी निवासी के पक्ष में पावर आफ अटर्नी देने पर प्राधिकृत व्यापारियों/बैंकों को शक्तियां प्रत्यायोजित की गई हैं कि एनआरओ खाते में प्रचालन की अनुमति प्रदान करे बशर्ते कि ऐसे प्रचालन स्थानीय भुगतान और अनिवासियों को विप्रेषण तक सीमित रहे।

6.12 भारत में विदेशी राशिकों के लिए भारत में अपनी प्राप्य राशियां प्राप्त करने को सुविधाजनक बनाने के लिए, एडी श्रेणी - 1 बैंक भारत में एनआरओ खाते को उनके बाद निवासी खातों के रूप में निर्दिष्ट करे ताकि वे अपनी वास्तविक प्राप्य राशियां प्राप्त कर सकें, बशर्ते कि बैंक इस बात से संतुष्ट हो कि राशियों का क्रेडिट खाता धारक की वास्तविक प्राप्य राशियां हैं जब वह भारत में निवासी था। एनआरओ खाते में क्रेडिट की गई निधियां विदेश में तुरंत प्रत्यावर्तित की जाएं, बशर्ते कि भारत में आय कर और अन्य करों का भुगतान किया गया हो। विदेश में प्रत्यावर्तित की गई राशि प्रत्येक वित्तीय वर्ष में एक मिलियन अमरिकी डालर से अधिक नहीं होनी चाहिए। खाते में डेबिट केवल विदेश में खाता धारक को प्रत्यावर्तन के प्रयोजन के लिए होना चाहिए। एनआरओ खाते के रूप में खाते बदलने के बाद खाता धारक की घोषणा के अनुसार सभी प्राप्त राशियां प्राप्त होने और प्रत्यावर्तित होने के तुरंत बाद खाता बंद कर दिया जाना चाहिए।

6.13 अन्तर्राष्ट्रीय क्रेडिट कार्ड – प्राधिकृत व्यापारी बैंकों को रिज़र्व बैंक के पूर्व अनुमोदन के बिना एनआरआई/पीआईओ को अन्तर्राष्ट्रीय कार्ड जारी करने की अनुमति दी गई है। ऐसे लेनदेनों का निबटान आवक विप्रेषणों से या कार्ड धारक के एफसीएनआर (बी)/एनआरआई/एनआरओ खातों में रखी शेष राशियों में से किया जा सकता है।

6.14 आय कर – केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, वित्त मंत्रालय भारत सरकार द्वारा समय-समय पर फार्मेट में वांछित सूचना देने पर प्राधिकृत व्यापारी बैंकों द्वारा विप्रेषणों (लागू करों की कटौती के बाद) की अनुमति दी जाएगी। भारतीय रिज़र्व बैंक कर मुद्दों के स्पष्टीकरण के लिए एफईएमए के अधीन कोई अनुदेश जारी नहीं करेगा। प्राधिकृत व्यापारियों के लिए, यथा लागू कर कानूनों का पालन करना अनिवार्य होगा।

²⁸ दिनांक 1 अप्रैल 2016 की फेमा अधिसूचना संख्या 5 (आर)/2016-आरबी के आधार पर जारी एपी (डीआईआर सीरीज़) परिपत्र संख्या 67/2015-16/(1)/5 (आर), दिनांक 5 मई 2016 द्वारा अंतर्विष्ट किया गया।

²⁹ दिनांक 1 अप्रैल 2016 की फेमा अधिसूचना संख्या 5 (आर)/2016-आरबी के आधार पर जारी एपी (डीआईआर सीरीज़) परिपत्र संख्या 67/2015-16/(1)/5 (आर), दिनांक 5 मई 2016 द्वारा अंतर्विष्ट किया गया।

³⁰ एफईएम (परिसंपत्तियों का विप्रेषण) विनियमावली, 2000 का निरसन किया गया और इसे दिनांक 1 अप्रैल 2016 की फेमा अधिसूचना संख्या 13 (आर)/2016-आरबी के माध्यम से जारी एफईएम (परिसंपत्तियों का विप्रेषण) विनियमावली, 2016 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया।

7. विशेष अनिवासी (एसएनआरआर) खाता

³¹ 7.1 भारत के बाहर निवासी व्यक्ति, जिसका भारत में व्यावसायिक हित है, वह इस अधिनियम के तहत बनाए गए नियमों और विनियमों के अनुसरण में, भारत में निवासी व्यक्ति के साथ अनुमत चालू और पूंजी खाता लेनदेन करने और भारत के बाहर निवासी व्यक्ति के साथ कोई लेनदेन करने के उद्देश्य से भारत में किसी प्राधिकृत व्यापारी या भारत के बाहर उसकी शाखा में विशेष अनिवासी रूपया खाता (एसएनआरआर खाता) खोल सकता है।

स्पष्टीकरण: विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम, 2005 की धारा 18 के तहत, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र (IFSC) में स्थित इकाई IFSC के बाहर अपने व्यापारिक लेनदेन के उद्देश्य से भारत में (IFSC के बाहर) स्थित किसी प्राधिकृत व्यापारी के साथ SNRR खाता खोल सकती है।

7.2 ³² एसएनआरआर खाता उस विशिष्ट कारोबार का नाम बताएगा जिसके लिए वह खाता खोला गया है और उस पर ब्याज नहीं दिया जाएगा। ³³ बैंक, अपने विवेकानुसार लेनदेनों की प्रत्येक श्रेणी के लिए पृथक एसएनआरआर खाता अथवा भारत से बाहर के निवासी ऐसे व्यक्ति के लिए एकल एसएनआरआर खाता रख सकता है जो अनेक श्रेणियों के लेनदेनों में संलग्न हो, बशर्ते वह उनकी श्रेणी-वार पहचान/पृथक्करण करने और उनका लेखा रखने में सक्षम हो।

7.3 खाते में डेबिट/ क्रेडिट और शेष राशियां प्रासंगिक होंगे और खाताधारक के कारोबारी प्रचालनों के अनुरूप होंगे।

7.4 प्राधिकृत व्यापारी यह निश्चित करे कि एसएनआरआर खाते में सभी प्रचालन अधिनियम, नियमों और उसके अधीन बनाए गए विनियमों के अनुसार हैं।

7.5 ³⁴ एसएनआरआर खाते की अवधि अनुबंध की अवधि/ परिचालन की अवधि/ खाताधारक के व्यवसाय की अवधि की समर्ती होगी। ³⁵

³¹ [15 जनवरी 2025 की अधिसूचना संख्या फेमा 5\(आर\)\(5\)/2025-आरबी](#) के माध्यम से संशोधित किया गया, संशोधन से पूर्व इसे इस प्रकार पढ़ा जाता था “भारत में व्यवसायिक हित रखने वाला भारत से बाहर का निवासी व्यक्ति, रुपये में ऐसे सदाशयी लेन-देन करने के उद्देश्य से किसी प्राधिकृत व्यापारी के पास विशेष अनिवासी रूपया खाता (एसएनआरआर खाता) खोल सकता है, जिसमें इस अधिनियम, उसके अंतर्गत बनी नियमावली और विनियमावली के प्रावधानों का कोई उल्लंघन शामिल न हो। 31 व्यावसायिक हित में, सामान्य व्यावसायिक हित के अलावा, निम्नलिखित INR लेनदेन शामिल होंगे, यथा:

i. भारत में किए गए निवेश जो यथालागू और समय-समय पर यथासंशोधित [विदेशी मुद्रा प्रबंध \(तैर-ऋण लिखत\)](#) नियमावली, 2019, [दिनांक 17 अक्टूबर, 2019](#) और [दिनांक 17 अक्टूबर, 2019](#) को जारी अधिसूचना संख्या फेमा 396/2019-आरबी के माध्यम से अधिसूचित विदेशी मुद्रा प्रबंध (ऋण लिखत) विनियमावली, 2019 के अनुसार किए गए हों;

ii. माल और सेवाओं का आयात जो [दिनांक 03 मई 2000](#) की अधिसूचना सं.जीएसआर 381(ई), अर्थात विदेशी मुद्रा प्रबंध (चालू खाता लेनदेन) नियमावली, 2000, समय-समय पर यथासंशोधित, के साथ पठित विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 5 के अनुसार किया गया हो;

iii. माल और सेवाओं का निर्यात जो [दिनांक 03 मई 2000](#) की अधिसूचना सं.जीएसआर 381(ई), अर्थात विदेशी मुद्रा प्रबंध (चालू खाता लेनदेन) नियमावली, 2000, समय-समय पर यथासंशोधित, के साथ पठित विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 7 के अनुसार किया गया हो;

iv. व्यापार ऋण लेनदेन और बाह्य वाणिज्यिक उधार (ईसीबी) ढांचे के तहत उधार जो समय-समय पर यथासंशोधित [विदेशी मुद्रा प्रबंध \(उधार और ऋण\)](#) विनियमावली, 2018 के अनुसार हो;

v. गिफ्ट सिटी में स्थित आईएफएससी इकाइयों द्वारा अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र (आईएफएससी) से बाहर व्यापार संबंधी लेनदेन जैसे आईएफएससी से बाहर आईएनआर में किए गए प्रशासनिक व्यय, स्कैप की बिक्री से आईएनआर में प्राप्त राशि, आईएनआर में सरकारी प्रोत्साहन राशि, आदि। यह खाता भारत में किसी बैंक (IFSC के बाहर) खोला जाएगा।

³² [दिनांक 22 नवंबर 2019 के एपी \(डीआईआर\) परिपत्र संख्या 9](#) और [दिनांक 13 नवंबर 2019 की अधिसूचना सं. फेमा 5\(आर\)/3/2019-आरबी](#) के माध्यम से संशोधित। संशोधन से पहले, इसे इस प्रकार पढ़ा जाता था- “एसएनआरआर खाते के नामकरण में उस विशिष्ट व्यवसाय का नाम शामिल होगा जिसके लिए इसे खोला गया है और इस पर कोई ब्याज अर्जित नहीं किया जाएगा।

³³ [दिनांक 15 जनवरी 2025 की अधिसूचना संख्या फेमा 5\(आर\)\(5\)/2025-आरबी](#) के माध्यम से संशोधित किया गया। संशोधन से पूर्व इसे “भारतीय” के रूप में पढ़ा जाता था।

³⁴ [दिनांक 09 नवंबर 2018 की अधिसूचना सं.फेमा 5 \(आर\)\(1\)/2018-आरबी](#) द्वारा जारी विदेशी मुद्रा प्रबंध (जमाराशि) (संशोधन) विनियमावली, 2018 और [दिनांक 28 मार्च 2019 के एपी \(डीआईआर सीरीज़\) परिपत्र सं.28](#) द्वारा संशोधित। संशोधन से पहले यह इस प्रकार था, “एसएनआरआर खाते की अवधि अनुबंध की अवधि/ परिचालन की अवधि/ खाताधारक के व्यवसाय के समवर्ती होनी चाहिए और किसी भी स्थिति में यह सात वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। खाता खोलने की तारीख से सात साल के बाद खाते में किसी परिचालन की अनुमति नहीं होगी।

³⁵ [15 जनवरी 2025 की अधिसूचना संख्या FEMA 5\(R\)\(5\)/2025-RB](#) के माध्यम से इसे हटा दिया गया। हटाने से पूर्व इस प्रकार पढ़ा जाता था, “और किसी भी स्थिति में यह सात वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। नवीकरण की आवश्यकता वाले मामलों में रिजर्व बैंक का

7.6 एसएनआरआर खाते में प्रचालन का परिणाम रूपये में प्रतिपूर्ति के विरुद्ध या अन्य किसी तरीके से भारत में निवासी व्यक्ति को विदेशी मुद्रा उपलब्ध कराना नहीं होना चाहिए।

7.7 भारत में³⁶ एसएनआरआर खाते में शेष राशियां प्रत्यावर्तन के लिए पात्र होंगी और किसी एनआरओ खाते से एसएनआरआर खाते में अंतरण प्रतिबंधित है।

7.8 भारत में³⁷ एसएनआरआर खाते में सभी लेनदेन भारत में लागू करों के भुगतान के अधीन होंगे।

7.9 खाता धारक के निवासी बन जाने पर, भारत में³⁸ एसएनआरआर खाते को निवासी रूपया खाता विनिर्दिष्ट किया जाना चाहिए।

7.10³⁹ मृत खाता धारक, जिसका भारत में एसएनआरआर खाता हो⁴⁰, के खाते से अनिवासी नामिती को देय/ भुगतान योग्य राशि भारत में किसी प्राधिकृत व्यापारी/ प्राधिकृत बैंक में नामिती के एनआरओ/ एनआरई खाते में जमा की जाएगी अथवा सामान्य बैंकिंग चैनलों के माध्यम से विप्रेषण द्वारा जमा की जाएगी।

7.11 पाकिस्तान और बांगलादेश के राष्ट्रियों और पाकिस्तान और बांगलादेश में निगमित संस्थाओं द्वारा एसएनआरआर खाते खोलने के लिए रिजर्व बैंक का पूर्व अनुमोदन आवश्यक है।

8. एस्क्रो (ESCROW) खाता

8.1 निवासी या अनिवासी कंपनी/प्राप्तकर्ता भारत में प्राधिकृत व्यापारी के साथ समय-समय पर यथासंशोधित विदेशी मुद्रा प्रबंध (जमा) विनियम, 2016 की⁴¹ अनुसूची 5 में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन एस्क्रो एजेंट के रूप में भारतीय रूपयों में एस्क्रो खाता खोल सकते हैं।

8.2 लेन-देन समय-समय पर यथासंशोधित⁴² [17 अक्टूबर 2019 के विदेशी मुद्रा प्रबंध \(गैर-ऋण लिखत\) नियमावली, 2019](#) और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा जारी संगत विनियमों के अनुसार किए जाएँगे।

8.3 खातों पर ब्याज नहीं दिया जाएगा।

8.4 खाते में शेष राशियों के विरुद्ध कोई निधि/गैर-निधि आधारित सुविधा नहीं दी जाएगी।

9. प्रत्यावर्तन आधार पर एनआरआई / पीआईओ से भारत में कंपनी द्वारा जमाराशियां स्वीकार करना

रिजर्व बैंक के साथ पंजीकृत एनबीएफसी सहित भारत में निगमित कंपनी प्रत्यावर्तन के आधार पर जमा राशियां स्वीकार नहीं कर सकती। तथापि, वह समय समय पर यथासंशोधित विदेशी⁴³ मुद्रा प्रबंध (जमा) विनियम, 2016 की अनुसूची 6 के अनुसार स्वीकार की गई राशियों का नवीकरण कर सकती है।

अनुमोदन प्राप्त करना होगा। हालांकि, सात साल का प्रतिबंध उपरोक्त पैराग्राफ 7.1 के उप-पैराग्राफ (i) से (v) में बताए गए उद्देश्यों के लिए भारत के बाहर निवासी व्यक्तियों द्वारा खोले गए SNRR खातों पर लागू नहीं होगा।"

³⁶ [दिनांक 15 जनवरी 2025 की अधिसूचना संख्या फेमा 5\(आर\)\(5\)/2025-आरबी](#) के माध्यम से जोड़ा गया।

³⁷ [दिनांक 15 जनवरी 2025 की अधिसूचना संख्या फेमा 5\(आर\)\(5\)/2025-आरबी](#) के माध्यम से जोड़ा गया।

³⁸ [दिनांक 15 जनवरी 2025 की अधिसूचना संख्या फेमा 5\(आर\)\(5\)/2025-आरबी](#) के माध्यम से जोड़ा गया।

³⁹ [दिनांक 13 नवंबर, 2019 की अधिसूचना सं. फेमा 5\(आर\)/3/2019-आरबी](#) के साथ पठित [दिनांक 22 नवंबर 2019 के एपी \(डीआईआर सीरीज़\) परिपत्र संख्या 9](#) के द्वारा संशोधित किया गया। संशोधन से पहले, यह इस प्रकार था, "किसी मृत खाताधारक के खाते से अनिवासी नामिती व्यक्ति को प्राप्य/देय राशि, उक्त नामिती द्वारा भारत में प्राधिकृत व्यापारी/ प्राधिकृत बैंक में खोले गए एनआरओ खाते में क्रेडिट की जाएगी।

⁴⁰ [दिनांक 15 जनवरी 2025 की अधिसूचना संख्या फेमा 5\(आर\)\(5\)/2025-आरबी](#) के माध्यम से जोड़ा गया।

⁴¹ [दिनांक 1 अप्रैल, 2016 की फेमा अधिसूचना संख्या 5 \(आर\)/2016-आरबी](#) के आधार पर जारी [दिनांक 5 मई 2016 के एपी \(डीआईआर सीरीज़\) परिपत्र संख्या 67/2015-16/\[1\]/5\(आर\)](#) द्वारा अंतर्विष्ट किया गया। इससे पहले, इस प्रावधानों को अनुसूची 8 में उल्लिखित किया गया था।

⁴² एफईएम (भारत के बाहर निवासी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) विनियमावली, 2017 का अधिक्रमण सरकार द्वारा 17 अक्टूबर 2019 को जारी विदेशी मुद्रा प्रबंध (गैर-ऋण लिखत) नियमावली, 2019 द्वारा कर लिया गया है।

⁴³ एफईएम (जमा) विनियमावली, 2000 को निरस्त कर दिया गया और इसे दिनांक [1 अप्रैल 2016 की फेमा अधिसूचना संख्या 5 \(आर\)/2016-आरबी](#) द्वारा के माध्यम से अधिसूचित एफईएम (जमा) विनियमावली, 2016 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया।

10. गैर-प्रत्यावर्तन आधार पर एनआरआई या पीआईओ से भारतीय स्वामित्व संस्था/ फर्म से जमा राशियां स्वीकार करना।

10.1 समय-समय पर यथा संशोधित ⁴⁴विदेशी मुद्रा प्रबंध (जमा) विनियम, 2016 की अनुसूची 7 की शर्तों के अधीन रिजर्व बैंक के साथ पंजीकृत कंपनी (गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनी सहित) कोई भारतीय स्वामित्व संस्था / फर्म या कंपनी एनआरआई या पीआईओ से गैर-प्रत्यावर्तन आधार पर जमा राशियां स्वीकार कर सकती है।

10.2 ⁴⁵

11. ⁴⁶भारत से बाहर निवासी व्यक्ति से निदेशक के रूप में नामांकन के लिए भारतीय कंपनियों द्वारा जमा राशियां स्वीकार करना:

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 160 के अनुसार, भारत से बाहर निवासियों द्वारा भारतीय कंपनी के साथ जमा राशियां रखना एक चालू खाता (भुगतान) लेनदेन है और इस प्रकार, रिजर्व बैंक से कोई अनुमोदन आवश्यक नहीं है। ऐसे व्यक्ति के निदेशक के रूप में चयन या पच्चीस प्रतिशत वोटों से अधिक वोट प्राप्त करना भी इसी प्रकार है।

12. अन्य खाते / जमा राशियां

⁴⁷12.1 प्राधिकृत व्यापारी द्वारा भारत से बाहर अपनी शाखा, प्रधान कार्यालय या प्रतिनिधि शाखा में जमा और प्राधिकृत व्यापारी द्वारा भारत से बाहर शाखा या प्रतिनिधि के साथ जमा और भारत में अपनी बहियों में दर्ज जमा इस संबंध में रिजर्व बैंक द्वारा जारी अनुदेशों से नियंत्रित होगा।

12.2 भारत से बाहर निगमित जहाजरानी या हवाई जहाज कंपनी भारत में स्थानीय व्यय को पूरा करने के लिए विदेशी मुद्रा खाता खोल, धारित और रखरखाव कर सकती है। ऐसे खातों में अनुमत क्रेडिट भारत में ऐसी हवाई जहाज कंपनी या जहाजरानी कंपनी के केवल मालभाड़ा या यात्री किराए के संग्रहण या भारत से बाहर उसके कार्यालय से बैंकिंग चैनल से आवक विप्रेषण है।

⁴⁸12.3 प्राधिकृत व्यापारी भारतीय संस्थाओं के साथ विदेशी कंपनियों/ संस्थाओं के संयुक्त उद्यमों (यूजेवी) को कारोबार के सामान्य कार्य में जमा राशि विनियमों की अनुसूची 4 के अनुसार ब्याज रहित विदेशी मुद्रा खाता और एसएनआर खाता खोलने, धारण करने और रखरखाव करने की अनुमति दे सकता है। इन खातों में डेबिट और क्रेडिट यूजेवी की कारोबारी आवश्यकताओं के साथ प्रासंगिक होंगे। खाते की अवधि यूजेवी की संविदा / प्रचालन की अवधि के साथ-साथ होगी और खाते के सभी प्रचालन अधिनियम के उपबंधों के अनुसार या उसके अधीन नियमों या विनियमों या निदेशों के अनुसार होंगे। पाकिस्तान / बांग्लादेश के स्वामित्व / राष्ट्रिकता वाली कंपनियों द्वारा ऐसे खाते खोलने के लिए रिजर्व बैंक का पूर्व अनुमोदन आवश्यक होगा।

⁴⁹12.4 भारत में प्राधिकृत व्यापारी विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक और विदेशी उद्यम पूँजी निवेशक, दोनों सेबी के संगत विनियमों के अंतर्गत भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) के साथ पंजीकृत, कोसमय-समय पर यथासंशोधित ⁵⁰विदेशी मुद्रा प्रबंध (गैर-ऋण लिखत) नियमावली, 2019, दिनांक 17 अक्टूबर 2019 और दिनांक 17 अक्टूबर 2019, की विदेशी मुद्रा प्रबंध (ऋण लिखत) विनियमावली, 2019 के अनुसार निवेश करने के प्रयोजन से गैर-ब्याज अर्जक वाले विदेशी मुद्रा खाता खोलने और बनाए रखने की अनुमति दे सकता है।

13. नामांकन

अलग-अलग खाता धारकों द्वारा रखी जमाराशियों / खातों के संबंध में प्राधिकृत व्यापारी नामांकन सुविधा दे सकते हैं।

⁴⁴ एफईएम (जमा) विनियमावली, 2000 का निरसन करते हुए इसे दिनांक 1 अप्रैल 2016 की फेमा अधिसूचना संख्या 5 (आर)/2016-आरबी द्वारा के माध्यम से अधिसूचित एफईएम (जमा) विनियमावली, 2016 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया।

⁴⁵ दिनांक 16 अगस्त 2019 के एपी (डीआईआर सीरीज़) परिपत्र संख्या 06 के साथ पठित दिनांक 16 जुलाई 2019 की अधिसूचना सं फेमा 5(आर)(2)/2019-आरबी के माध्यम से निरस्त किया गया। निरस्त किए जाने से पहले, यह इस प्रकार पढ़ा जाता था, "भारतीय कंपनियां 1 अप्रैल 2016 की अधिसूचना संख्या फेमा 5 (आर)/2016-आरबी के विनियम 6 के उप-विनियम (3) में निर्दिष्ट नियमों और शर्तों के अधीन वाणिज्यिक पत्र जारी करके एनआरआई या पीआईओ से जमाराशियां स्वीकार कर सकती हैं।"

⁴⁶ दिनांक 13 अप्रैल 2016 के एपी (डीआईआर सीरीज़) परिपत्र संख्या 59 द्वारा अंतर्विष्ट किया गया। तदनुसार, मौजूदा पैरा 11, 12 और 13 को क्रमशः 12, 13 और 14 के रूप में पुनः संख्यांकित किया गया।

⁴⁷ दिनांक 5 मई 2016 के एपी (डीआईआर सीरीज़) परिपत्र संख्या 67/2015-16/(1)/5 (आर) द्वारा अंतर्विष्ट किया गया।

⁴⁸ दिनांक 1 अप्रैल, 2016 फेमा अधिसूचना संख्या 5 (आर)/2016-आरबी की आधार पर जारी दिनांक 5 मई 2016 के एपी (डीआईआर सीरीज़) परिपत्र संख्या 67/2015-16/(1)/5(आर) द्वारा अंतर्विष्ट किया गया।

⁴⁹ दिनांक 09 नवंबर 2018 की अधिसूचना फेमा 5(आर)(1)/2018-आरबी और दिनांक 28 मार्च 2019 के एपी (डीआईआर सीरीज़) परिपत्र संख्या 28 द्वारा अंतर्विष्ट।

⁵⁰ विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर निवासी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण या निर्गम) विनियमावली, 2000 का स्थान विदेशी मुद्रा प्रबंध (गैर-ऋण लिखत) नियमावली, 2019 और 17 अक्टूबर 2019 को जारी विदेशी मुद्रा प्रबंध (ऋण लिखत) विनियमावली, 2019 द्वारा ले लिया गया है।

⁵¹ 14. प्रत्यावर्तनीय खातों के बीच अंतरण

विदेशी मुद्रा प्रबंध (जमा) विनियमावली, 2016 के अनुसरण में रखे गए प्रत्यावर्तनीय रूपया खातों के बीच सभी सदाशयी लेन-देनों के लिए निधियों के अंतरण की अनुमति है।

15. विदेशी मुद्रा खाते रख रहे प्राधिकृत व्यापारी का उत्तरदायित्व

इस मास्टर निदेश के अधीन खाते रख रहे प्राधिकृत व्यापारी को:-

- (ए) रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी निदेशों का अनुपालन करना होगा और
(बी) रिजर्व बैंक द्वारा विनिर्दिष्ट, यदि कोई हो, आवधिक विवरणी या विवरण प्रस्तुत करने होंगे।

⁵²भाग III - वॉस्ट्रो खातों से संबंधित प्रावधान

1. बैंकों के लिए रूपया वॉस्ट्रो खाता

प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-। बैंक रिजर्व बैंक को पहले से सूचित किए बिना अपनी विदेशी शाखाओं अथवा प्रतिनिधियों के नाम से रूपया खाते (ब्याज रहित) खोल/ बंद कर सकते हैं। पाकिस्तान से बाहर व्यवसायरत पाकिस्तानी बैंकों की शाखाओं के नाम पर रूपया खाते खोलने के लिए रिजर्व बैंक का विशिष्ट अनुमोदन अपेक्षित है।

- (i) अनिवासी बैंक के खाते में जमा करना, अनिवासियों के लिए भुगतान की एक स्वीकृत विधि है और इसलिए यह विदेशी मुद्रा में अंतरण पर लागू विनियमों के अधीन है।
(ii) किसी अनिवासी बैंक के खाते में किया गया डेबिट वस्तुतः विदेशी मुद्रा में आवक धन-प्रेषण है।

1.1 अनिवासी बैंकों के खातों का निधीकरण

(i) प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी । बैंक भारत में अपनी वास्तविक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपने खातों में निधियों की उपलब्धता बनाए रखने के लिए प्रचलित बाजार दर पर अपने विदेशी प्रतिनिधियों/ शाखाओं से स्वतंत्र रूप से विदेशी मुद्रा खरीद सकते हैं।

(ii) यह सुनिश्चित करने के लिए कि पारदेशीय बैंक, भारतीय रूपये (आईएनआर) के संबंध में कोई सट्टेबाजी का दृष्टिकोण न अपनाएं, खाते में होने वाली लेनदेन पर कड़ी निगरानी रखी जाए। इस प्रकार की किसी भी घटना को भारतीय रिजर्व बैंक की जानकारी में लाया जाए।

नोट: प्रत्यावर्तन/ वित्तपोषण के उद्देश्य से भारतीय रूपये के विरुद्ध विदेशी मुद्राओं की वायदा खरीद/ बिक्री निषिद्ध है। भारतीय रूपये से अनिवासी बैंकों के बीच दो-तरफा भाव बताये जाने (कोट) की भी अनुमति नहीं है।

1.2 अन्य खातों से अंतरण

एक ही बैंक के अलग-अलग खातों या विभिन्न बैंकों के खातों के बीच धन-अंतरण स्वतंत्र रूप से अनुमत है।

⁵¹ दिनांक 15 जनवरी 2025 की अधिसूचना संख्या फेमा 5(आर)(5)/2025-आरबी के माध्यम से जोड़ा गया।

⁵² यह 16 अप्रैल 2025 से लागू किया गया है जिसमें अनिवासी बैंकों के वॉस्ट्रो खातों से संबंधित निर्देशों, जो पहले मास्टर निदेश - जोखिम प्रबंधन और अंतर-बैंक लेनदेन (FMRD मास्टर डायरेक्शन संख्या 1/2016-17 दिनांक 5 जुलाई 2016, जिसे समय-समय पर संशोधित किया गया है) के भाग बी और भाग ई के पैराग्राफ A.(x) में मौजूद था, तथा विशेष रूपया वॉस्ट्रो खातों और गैर-निवासी एक्सचेंज हाउस के वॉस्ट्रो खातों से संबंधित निर्देशों को समेकित किया गया है।

1.3 रूपये का विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन

अनिवासी बैंकों के रूपया खातों में धारित शेष राशि को मुक्त रूप से विदेशी मुद्रा में संपरिवर्तित किया जा सकता है। ऐसे सभी लेनदेन फॉर्म ए2 में दर्ज किए जाएँ और संबंधित विवरणियों में उनसे संबंधित खातों के डेबिट का ब्योरा फॉर्म ए3 में दर्ज किया जाए।

1.4 भुगतानकर्ता और प्राप्तकर्ता बैंकों की जिम्मेदारियाँ

खातों में जमा के मामले में भुगतानकर्ता बैंकरद्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि सभी विनियामकीय अपेक्षाओं को पूरा किया गया है और मामले के अनुसार उसका ब्योरा फॉर्म ए1/ए2 में सही ढंग से प्रस्तुत किया गया है।

1.5 रूपये में किए गए विप्रेषण की वापसी

आवक विप्रेषणों को रद्द करने या वापस लेने के अनुरोधों को रिज़र्व बैंक को संदर्भित किए बिना स्वीकार किया जा सकता है, बशर्ते स्वयं को संतुष्ट कर लिया जाए कि ऐसे प्रतिदाय प्रतिपूरक प्रकृति के लेनदेन के कवर करने के लिए न दिए जा रहे हों।

1.6 पारदेशीय शाखाओं/ प्रतिनिधियों को ओवरड्राफ्ट/ ऋण

(i) एडी श्रेणी-I के बैंक अपनी पारदेशीय शाखाओं/ प्रतिनिधियों को उनकी सामान्य कारोबारी जरूरतें पूरी करने के उद्देश्य से कुल मिलाकर अधिकतम रु.500 लाख के अस्थायी अध्याहरण की अनुमति दे सकते हैं। यह सीमा भारत में प्राधिकृत एडी श्रेणी-I बैंक की सभी शाखाओं की बहियों में सभी पारदेशीय शाखाओं और प्रतिनिधियों की बकाया राशि पर लागू होती है। इस सुविधा का उपयोग खातों के वित्तपोषण को स्थगित करने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। यदि उक्त सीमा से अधिक के ओवरड्राफ्ट का पाँच दिन के भीतर समायोजन नहीं किया जाता है तो उसका कारण दर्शाते हुए उसकी रिपोर्ट महीने के समाप्ति के 15 दिन के भीतर प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक, विदेशी मुद्रा विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, केंद्रीय कार्यालय, 11वीं मंजिल, केंद्रीए कार्यालय भवन, शहीद भगत सिंह मार्ग, फोर्ट, मुंबई-400001 को दी जाए। यदि व्यवस्था वैल्यू डेटिंग (value dating) के लिए है तो इस तरह की रिपोर्ट जरूरी नहीं है।

(ii) एडी श्रेणी-I बैंक यदि पारदेशीय बैंकों को उपर्युक्त (ii) में उल्लिखित सुविधाओं के अतिरिक्त कोई अन्य ऋण सुविधा प्रदान करना चाहता है, तो उसे इसके लिए प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक, विदेशी मुद्रा विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, केंद्रीय कार्यालय से पूर्व अनुमोदन प्राप्त करें।

1.7 रिज़र्व बैंक को रिपोर्ट

प्रत्येक एडी श्रेणी-I बैंकों के प्रधान/ मुख्य कार्यालय को प्रत्येक वर्ष के दिसंबर अंत की स्थिति के अनुसार अपने उन सभी कार्यालयों/ शाखाओं की अद्यतन सूची अगले वर्ष के जनवरी माह की 15 तारीख तक प्रस्तुत करनी चाहिए जो अनिवासी बैंकों के रूपया खातों का संचालन कर रहे हैं और इसमें रिज़र्व बैंक द्वारा सीआईएमएस (CIMS) के माध्यम से आवंटित कोड संख्या का ब्यौरा दिया जाना चाहिए। इन कार्यालयों/ शाखाओं को रिज़र्व बैंक के उन कार्यालयों के क्षेत्राधिकार के अनुसार वर्गीकृत किया जाना चाहिए जिनमें वे स्थित हैं।

2. बैंकों के लिए विशेष रूपया वोस्ट्रो खाता

प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I के बैंक व्यापार में भागीदार देश के साथ व्यापार लेन-देनों के निपटान हेतु उसके प्रतिनिधि बैंक/बैंकों के विशेष रूपया वोस्ट्रो खाते भी खोल सकते हैं। विस्तृत अनुदेश माल और सेवाओं के निर्यात पर जारी [दिनांक 01 जनवरी, 2016 के विमुवि मास्टर निदेश संख्या 16/2015-16](#), समय-समय पर यथासंशोधित, में समेकित किए गए हैं।

3. विनिमय गृहों के रूपया वोस्ट्रो खाते

भारत में आने वाले निजी विप्रेषण को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से विनिमय गृहों के नाम पर रूपया खाता खोलने के लिए रिज़र्व बैंक का अनुमोदन आवश्यक है। व्यापार लेनदेन के वित्तपोषण के लिए विनिमय गृहों के माध्यम से सीमा प्रति लेनदेन 15,00,000/- रुपये तक के विप्रेषण की अनुमति दी गयी है। विस्तृत अनुदेश अनिवासी विनिमय गृहों के रूपया/ विदेशी मुद्रा वोस्ट्रो खाते खोलना और उनका रखरखाव पर जारी [दिनांक 01 जनवरी, 2016 के विमुवि मास्टर निदेश संख्या 02/2015-16](#), समय-समय पर यथासंशोधित, में समेकित किए गए हैं।

परिशिष्ट

इस मास्टर निदेश में समेकित अधिसूचनाओं / परिपत्रों की सूची

क्रम सं.	अधिसूचना/ एपी(डीआईआर श्रृंखला) परिपत्र	तारीख
1a	एपी (डीआईआर श्रृंखला) परिपत्र सं. 92 का भाग बी	04 अप्रैल 2003
2	⁵³ अधिसूचना सं. एफईएमए 10 (आर)/2015-आरबी	21 जनवरी 2016
3	⁵⁴ अधिसूचना सं. एफईएमए 5 (आर)/2015-आरबी	01 अप्रैल 2016
4	⁵⁵ अधिसूचना सं. एफईएमए 10 (आर)/(1) 2016-आरबी	01 जून 2016
5	एपी (डीआईआर श्रृंखला) परिपत्र सं. 44[(1)/10 (आर)]	04 फरवरी 2016
6	एपी (डीआईआर श्रृंखला) परिपत्र सं. 59	13 अप्रैल 2016
7	एपी (डीआईआर श्रृंखला) परिपत्र सं. 67/2015-16/[(1)/5 (आर)]	5 मई 2016
8	एपी (डीआईआर श्रृंखला) परिपत्र सं. 77/[(2)/10 (आर)]	23 जून 2016
9	⁵⁶ अधिसूचना सं. एफईएमए 5(आर)(1)/2018-आरबी	09 नवम्बर 2018
10	एपी (डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं.28	28 मार्च 2019
11	⁵⁷ अधिसूचना सं. फेमा 10(R)(2)/2019-आरबी	27 फरवरी 2019
12	एपी (डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं.29	11 अप्रैल 2019
13	अधिसूचना फेमा 5(R)(2)/2019-आरबी	16 जुलाई 2019
14	एपी (डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं.06	16 अगस्त 2019
15	⁵⁸ अधिसूचना सं. फेमा 5(R)(3)/2019-आरबी	13 नवम्बर 2019
16	एपी (डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं.09	22 नवंबर 2019
17	ए.पी. (डी.आई.आर. सीरीज) परिपत्र सं. 10	11 जुलाई 2022
18	⁵⁹ अधिसूचना सं.फेमा. 5 (आर)(5)/2025-आरबी	15 जनवरी 2025
19	⁶⁰ अधिसूचना सं.फेमा. 10 (आर)(5)/2025-आरबी	15 जनवरी 2025
20	⁶¹ अधिसूचना संख्या फेमा 10(आर)(7)/2025-आरबी	06 अक्टूबर 2025

⁵³ दिनांक 21 जनवरी 2016 के जीएसआर 96 (ई) द्वारा भारत के राजपत्र में जारी

⁵⁴ दिनांक 1 अप्रैल 2016 के जीएसआर 389 (ई) द्वारा भारत के राजपत्र में जारी

⁵⁵ दिनांक 1 जून 2016 के जीएसआर 570(ई) द्वारा भारत के राजपत्र में जारी

⁵⁶ दिनांक 9 नवंबर 2018 के जीएसआर 1093 (ई) द्वारा भारत के राजपत्र में जारी

⁵⁷ दिनांक 27 फरवरी 2019 के जीएसआर 160 (ई) के माध्यम से भारत के राजपत्र में जारी

⁵⁸ दिनांक 17 अक्टूबर, 2019 के एस.ओ.3732(E) द्वारा भारत के राजपत्र में जारी

⁵⁹ दिनांक 15 जनवरी, 2025 की अधिसूचना संख्या फेमा 5(आर)(5)/2025-आरबी के माध्यम से भारत के राजपत्र में जारी।

⁶⁰ दिनांक 15 जनवरी, 2025 की अधिसूचना संख्या फेमा 10(आर)(5)/2025-आरबी के माध्यम से भारत के राजपत्र में जारी।

⁶¹ दिनांक 06 अक्टूबर 2025 की अधिसूचना संख्या फेमा 10(आर)(7)/2025-आरबी के माध्यम से भारत के राजपत्र में जारी।